पारिवारिक जीवन की समस्यायें

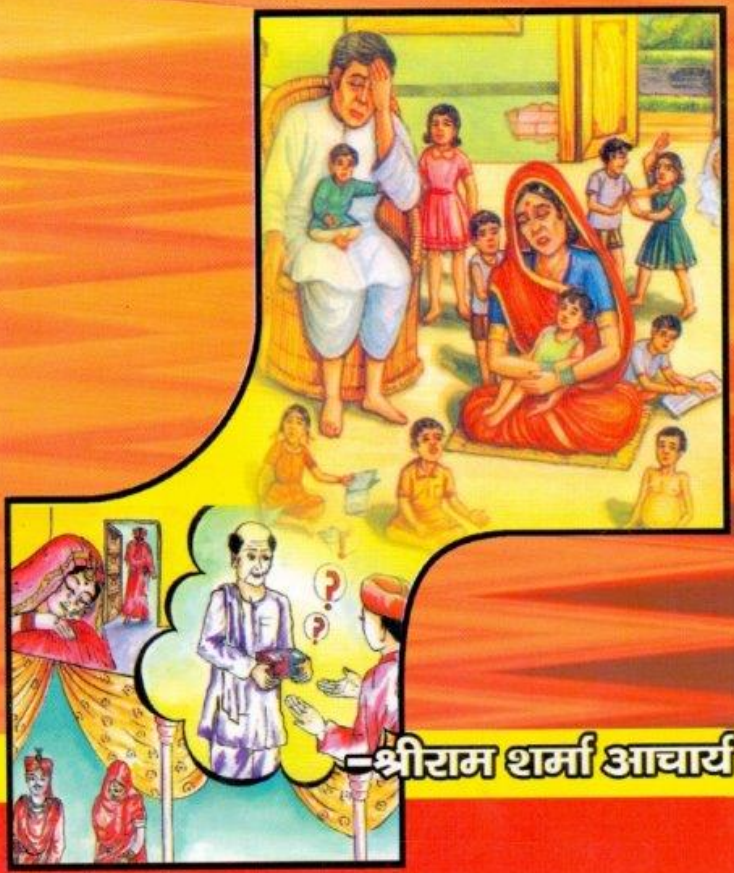

-श्रीराम शर्मा आचार्य

॥ वन्दे वेद मातरम् ॥

पारिवारिक जीवन की समस्याएँ

लेखक :
पं. श्रीराम शर्मा आचार्य

प्रकाशक :
युग निर्माण योजना विस्तार ट्रस्ट
गायत्री तपोभूमि, मथुरा
फोन : (०५६५) २५३०१२८, २५३०३९९
मो. ०९९२७०८६२८७, ०९९२७०८६२८९
फैक्स नं०- २५३०२००

पुनरावृत्ति सन् २०१३ मूल्य · ९.०० रुपये

विषय-विभाजन

१. गृहस्थाश्रम की श्रेष्ठता महान है ३

२. पारिवारिक प्रजातंत्र के सुख १५

३. हमारे परिवार के आपसी संबंध १९

४. पारिवारिक कलह के निवारण ३४

५. सुखी एवं शांतिमय गृहस्थ जीवन ४१

इसी पुस्तक से-

"गृहस्थाश्रम विषय-भोग की सामग्री नहीं है, स्वार्थमयी लालसा और पापमयी वासना का विलास मंदिर नहीं, वरन् दो आत्माओं के पारस्परिक सहवास द्वारा शुद्ध आत्म-सुख, प्रेम और पुण्य का पवित्र प्रासाद है, वात्सल्य और त्याग की लीलाभूमि है, निर्वाण प्राप्ति के लिए शांति कुटीर है ।"

卐 卐 卐　　卐 卐 卐　　卐 卐 卐　　卐 卐 卐

"भारतीय वैवाहिक जीवन मंगलमय है । उसका प्रत्येक व्रत, नियम, अनुष्ठान, पूजन, चिन्तन इत्यादि विशेष महत्व रखता है । सतीत्व तथा एक पत्नीव्रत की पवित्रता से समुज्ज्वल, मातृत्व के मृदुल वात्सल्य से विभूषित, उत्तरदायित्वों के मनोरम भार से परिपूर्ण, प्रेम के प्रवाह से अभिसिक्त भारतीय विवाहित जीवन त्याग का तेजोमय तीर्थ और पुण्य एवं कर्म की भूमि है ।"

卐 卐 卐　　卐 卐 卐　　卐 卐 卐　　卐 卐 卐

"आपका परिवार एक छोटा सा स्वर्ग है, जिसका निर्माण आपके हाथ में है । परिवार एक ऐसी लीलाभूमि है जिसमें पारिवारिक प्रेम, सहानुभूति, संवेदना, मधुरता अपना गुप्त विकास करते हैं । यह एक ऐसी साधना भूमि है जिसमें मनुष्य को निज कर्तव्यों तथा अधिकारों, उत्तरदायित्वों एवं आनंद का ज्ञान होता है ।"

पारिवारिक जीवन की समस्यायें

गृहस्थाश्रम की श्रेष्ठता महान है ।

भारतवर्ष में विवाह-बंधन अत्यन्त पवित्र धार्मिक कृत्य माना गया है । इसमें अनेकों उद्देश्यों की प्रतीति और महान उत्तरदायित्वों की पूर्ति के साधन समाविष्ट हैं । भारत के प्राचीन मुनियों ने इसे मानव प्रकृति की उद्दाम प्रवृत्तियों को स्वीकार करने, प्रकृति द्वारा आयोजित प्रजनन तथा सृष्टि विस्तार, सामाजिक सुव्यवस्था, सुदृढ़ नागरिक निर्माण और अन्त में निवृत्ति की चरम सीमा पर पहुँचने की व्यवस्था की है ।

धर्म शास्त्र का प्रवचन है-

तथा तथैव कार्याणि न कालस्तु विधीयते ।
अभिन्नेव प्रयुञ्जानों ह्यास्मन्नेव प्रलीयते ॥

इस संसार के साथ हमारा संयोग है, इसी संसार में हमारा लय हो जायगा, तब हमें जिस समय जो कर्तव्य हो, वही करना अनिवार्य है । व्यक्तिगत सुविधा तथा असुविधा को लेकर कर्तव्य के पुण्य पथ से परिभ्रष्ट होना उचित नहीं । इसलिए धर्म ने गृहस्थाश्रम को तपोभूमि कह कर उसकी महत्ता स्वीकार की है । यहाँ तक कि धर्म की दृष्टि में गृहस्थाश्रम ही चारों आश्रमों का मुख्य केन्द्र है । इस संबंध में योगिवर वशिष्ट का निर्देश देखिये-

गृहस्थ एव यजते गृहस्थस्तप्यते तपः ।
चतुर्थामाश्रमाणान्तु गृहस्थस्तु विशिष्यते ॥

अर्थात् गृहस्थ ही वास्तविक रूप से यज्ञ करते हैं । गृहस्थ ही वास्तविक तपस्वी हैं, इसलिए चारों आश्रमों में गृहस्थाश्रम ही सबका शिरमौर है ।

भारतीय धर्म के अनुसार गृहस्थाश्रम प्रकृत तपोभूमि है । इस काल में दो पवित्र आत्माओं का परस्पर सामंजस्य होता है तथा वे जीवन के युद्ध में प्रविष्ट होते हैं । उन्हें पग-पग पर उत्तरदायित्व, कठिनाइयाँ, सांसारिक संघर्ष, प्रतियोगिताओं में भाग लेना होता है । दोनों आत्माऐं परस्पर सम्मिलित होकर एक दूसरे की सहायता करते हुए, तपस्या और साधना के मार्ग पर अग्रसर होते हैं ।

प्रकृति ने प्रजनन-क्रिया की सिद्धि के निमित्त जिस उद्दाम वासना को मानव हृदय में प्रतिष्ठित किया है, उसकी उच्छृंखलता यौवन में आकर इतनी तीव्र हो उठती है कि सामाजिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से उसका संयम आवश्यक है । भारतीय धर्म ने उस उद्दाम प्रवृत्ति को स्वीकार किया है तथा विश्व की संस्थिति और सम्पूर्णता के लिए, मनुष्य के विकास के लिए जरूरी माना है । अतएव प्रत्येक नागरिक को इस महायज्ञ में प्रवृत्त होने का आदेश प्रदान किया है ।

गृहस्थाश्रम विषय-भोग की सामग्री नहीं है, स्वार्थमयी लालसा और पापमयी वासना का विलास मंदिर नहीं, वरन् दो आत्माओं के पारस्परिक सहवास द्वारा शुद्ध आत्म-सुख, प्रेम और पुण्य का पवित्र प्रासाद है, वात्सल्य और त्याग की लीलाभूमि है, निर्वाण प्राप्ति के लिए शांति कुटीर है । विवाह से मनुष्य समाज का एक अंग बनता है, अपूर्णता से पूर्णता प्राप्त करता है, निर्बलता से सबलता की ओर अग्रसर होता है । उसे नये संबंध प्राप्त होते हैं, नये उत्तरदायित्व और नये आनन्द प्राप्त होते हैं । भारतीय ऋषियों ने गृहस्थाश्रम को अनेक व्रत, नियम, अनुष्ठान, आतिथ्य-सत्कार इत्यादि पुण्य कर्तव्यों की लीलाभूमि बनाकर उसकी महिमा को द्विगुणित किया है । उन्होंने

पारिवारिक व्यवस्था में प्रेम और वात्सल्य तथा दूसरी ओर अपने से छोटे के लिए उन्हीं के हित में त्याग तथा तपस्या के द्वारा इसे तपोभूमि के समान पवित्र बना दिया है ।

एक लेखक का विचार है-"इस तपोभूमि के पुण्य स्वरूप और पुण्य साधना का मधुर रहस्य जानने के लिए हम हिमालय की उस तुषार मंडित शिला पर चलें, जहाँ हिमालय की किशोरी पार्वती तपश्चर्या में निमग्न हैं । यही भारतीय गृहस्थाश्रम के मंगलमय स्वरूप का प्रथम दर्शन है । गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होने से पूर्व रमणी को तपोमयी साधना में प्रवृत्त होना पड़ता है, क्योंकि जिस मंगलमय उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह अपने पवित्र-सुन्दर जीवन को उत्सर्ग करती है, उसके लिए तपस्या और त्याग की परम आवश्यकता है । कुमार की उत्पत्ति तपस्या की सिद्धि का मधुर फल है, क्योंकि विश्व के परित्राण के लिए, देश के मंगल के लिए, समाज के अभ्युदय के लिए और मनुष्य की मर्यादा को अक्षुण्ण रखने के लिए ही कुमार के अवतार की आवश्यकता है । पुत्र या कन्या का जन्म भी धार्मिक महत्व रखता है । उसके साथ रमणी की उत्कृष्ट सिद्धि भी सम्मिलित है ।"

भारतीय वैवाहिक जीवन मंगलमय है । उसका प्रत्येक व्रत, नियम, अनुष्ठान, पूजन, चिन्तन इत्यादि विशेष महत्व रखता है । सतीत्व तथा एक पत्नीव्रत की पवित्रता से समुज्ज्वल, मातृत्व के मृदुल वात्सल्य से विभूषित, उत्तरदायित्वों के मनोरम भार से परिपूर्ण, प्रेम के प्रवाह से अभिसिक्त भारतीय विवाहित जीवन त्याग का तेजोमय तीर्थ और पुण्य एवं कर्म की भूमि है । इसके द्वारा स्त्रियों में स्त्रीत्व तथा पुरुषों में पुरुषत्व का विकास होता है । नर-नारी के मंगलमय चिर सम्मिलन के समय भारतीय समाज उन दोनों को प्रणय-सूत्र में आबद्धकरने के साथ ही साथ इस जन्म तथा मृत्यु के पश्चात् परलोक में भी परस्पर सहायता, सहानुभूति एवं स्नेहमय व्यापार के प्रतिज्ञा सूत्र में आबद्ध करता है ।

हमारा हिन्दू धर्म जिस मंगलमयी साधना को लेकर सदा व्यस्त रहता है, वह है 'प्रवृत्ति को निवृत्ति के पथ पर परिचालित करना ।' हमारे यहाँ वासना की प्रवृत्ति को माना है, किन्तु साथ ही साथ हमने इस प्रवृत्ति के परिष्कार, उन्नतिकरण और अन्ततः निवृत्ति में परिणत करना यह फल माना है । वैवाहिक जीवन हमारे जीवन की एक स्टेज है, जो भावी जीवन के निर्माण में सहायक है । हम सदा से यह मानते आये हैं कि असंस्कृत और उच्छृंखल प्रवृत्ति साधना और तपस्या के द्वारा परम शांत और त्यागमयी बनाई जा सकती है । विनाश की अपेक्षा वृत्तियों का सही मार्गों में बहाव, स्वार्थ और लालसा से निकल कर प्रेम और त्याग के मार्गों में उनका प्रवाह हमारे लिए विशेष महत्व रखता है ।

गृहस्थ में प्रविष्ट न होने वाला व्यक्ति अनेक प्रकार के मानसिक रोगों का शिकार बनता है । आयु कम रहती है, मानसिक भावनाएँ विकसित नहीं हो पातीं, संसार के महत्वपूर्ण कार्यों में जी नहीं लगता, मन पुनः पुनः सुन्दर स्त्रियों के मानस चित्र बनाता और स्वप्नदोष उत्पन्न करता है । अविवाहित पुरुष की उत्पादन शक्ति क्षीण होती है । विवाह से उसे नया चाव, उत्साह, पूर्ति और प्रेरणा प्राप्त होती है । इसी प्रकार अविवाहित स्त्री कुढ़न, अनिद्रा, प्रमाद, चिन्ता, हिस्टीरिया, प्रजनन की गुप्त भावना, अतृप्ति, स्वार्थ और क्रोध से ग्रसित हो जाती है । विवाहित स्त्री का सौन्दर्य बढ़ता है । शरीर के सब अंगों का नवीन ढंग से विकास होता है । मृदुल भावनाओं–दया, प्रेम, सहानुभूति, वात्सल्य, करुणा की अभिवृद्धि होती है ।

डाक्टर जेम्स स्टाक, रजिस्ट्रार जनरल आफ स्काटलैंड ने अपनी परिगणना द्वारा सिद्ध किया है कि कुंआरेपन से मनुष्य की आयु क्षीण होती है । विवाहित व्यक्तियों में से २० और ४० वर्ष के मध्य १४०७ व्यक्ति प्रति वर्ष मरते हैं किन्तु इसी अवस्था में कुंवारे एक लाख में से १८३५ प्रति वर्ष मरते हैं । २५ से ४० के मध्य में

मरने वाले कुंवारों की मृत्यु अनुपात विवाहितों से दुगुना है । बीमा कंपनियाँ अविवाहितों की अपेक्षा विवाहितों को पसंद करती हैं ।

जैसा पिता वैसा परिवार-

पिता का महत्व मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत अधिक है । प्रत्येक परिवार अनुकरण का दास है । अत: पिता के रहन-सहन, विचारों और आदतों द्वारा घर के बच्चों की आदतों का निर्माण होता है । अपने जीवन का कोई भी दोषपूर्ण पहलू परिवार के सामने न लायें । आदर्श पिता का परिवार ही सुखी, समृद्ध और उन्नतिशील हो सकता है ।

घर का वातावरण बनाने वाले अन्य भी तत्व हैं । पहले घर में दीवारों पर लगी हुई तस्वीरों को ही लीजिए । यदि ये चित्र अश्लील, कामोत्तेजक, सस्ते, शृंगारपूर्ण जीवन या सिनेमा की अभिनेत्रियों से संबंधित होंगे, तो अप्रत्यक्ष रूप से घर का वातावरण अशुद्ध होता रहेगा । इसका प्रभाव बड़े होने पर बच्चों के चरित्र में प्रकट हो जायगा । इसी प्रकार जिन परिवारों में गंदी गालियाँ देने, बच्चों या नौकरों को मारने-पीटने, दुखी करने का क्रम है, उनके बच्चे दुष्ट और निर्मम प्रकृति के होते जायेंगे । पोशाक का दिखावा, अधिक बनाव-शृंगार, पाउडर, सेंट, इत्र, खुशबूदार, तेल लगाकर सज-धज कर निकलने वाले परिवारों के बच्चे उद्दंड और कामुक प्रकृति के निकलेंगे । जैसा घर का वातावरण, वैसे ही बच्चे के संस्कार !

पिता को अपना महान् दायित्व समझना चाहिए और स्वाध्याय, चिंतन, मनन एवं सेवाभाव के बीज परिवारिक सदस्यों में बोने चाहिए । पिता ही प्रथम शिक्षक और पथ प्रदर्शक है । उसे उत्साही, मिलनसार, भावुक, परोपकारी, अधिक परिश्रमी, अटल विश्वासी, व्यवहार कुशल, सच्चा समालोचक, विनोदपूर्ण होना चाहिए । जिस संलग्नता से वह पवित्र जीवन व्यतीत करेगा, उसी परोपकारिता, पितृ भक्ति और मृदुलता से उसका परिवार उसके पद चिह्नों पर चलेगा ।

सम्मिलित रहें या पृथक हो जाँय ?

सहयोग की भावना मनुष्य जाति की उन्नति का मूल कारण है । हमारी एकता शक्ति, आध्यात्मिकता, मैत्री भावना, सहयोग परायणता ही हमारी आधुनिक सभ्यता का मूल मंत्र है । सभ्यता के आरंभ में मनुष्यों ने आपस में एक दूसरे को सहयोग दिया, अपनी स्थूल और सूक्ष्म शक्तियों को परस्पर मिलाया । इस संगठन से उन्हें ऐसी चेतनाएँ एवं सुविधाएँ प्राप्त हुईं, जिनके कारण अनेक हिंस्र पशुओं के ऊपर मनुष्य का आधिपत्य स्थापित हो गया । दूसरे प्राणी जो साधारणत: शारीरिक दृष्टि से मनुष्य की अपेक्षा कहीं अधिक सक्षम थे, इस मैत्री भावना, सम्मिलित योग्यता के अभाव में जहाँ के तहाँ अविकसित पड़े रहे । उनकी शक्तियाँ विशृंखलित, विघटित, असंगठित रहीं । संघशक्ति का प्रादुर्भाव उनमें न हो सका ।

यही बात परिवारों के संबंध में है । वे ही परिवार उन्नति कर सकते हैं जिसमें पारस्परिक सहयोग, संगठन, एकता, पारस्परिक सद्भाव रहे हैं । बड़े सेठ, साहूकारों, संस्थाओं, फर्मों का निरीक्षण करके मालूम करें तो उनका संगठन ही उन्नति का मूल मिलेगा । विद्युत, अग्नि, गैस, वाष्प की तरह जनशक्ति भी एक होकर अनेक गुनी अभिवृद्धि को प्राप्त होती है ।

व्यक्तिवाद के स्थान पर समूहवाद की प्रतिष्ठा पाना संसार अब पहिचानता जा रहा है । मजदूर, किसान, कारीगर अपने संघ विनिर्मित कर रहे हैं । यहाँ तक कि बुरे व्यक्ति भी बुरे कर्मों के लिए घनिष्ट संघ बना कर अवांछनीय साहसिक कार्य संपादित कर रहे हैं ।

सम्मिलित कुटुम्ब के असंख्य लाभ-

पृथक-पृथक रूप से छोटे-छोटे प्रयत्न करने में शक्ति का अपव्यय अधिक और कार्य न्यून होता है । अकेला मनुष्य थोड़ी देर बाद रुक जाता है । परन्तु सामूहिक और संगठित सहयोग से ऐसी

अनेक चेतनाओं और सुविधाओं की उत्पत्ति होती है, जिसके द्वारा बड़े-बड़े कठिन कार्य सहज हो जाते हैं । सम्मिलित खेत, सम्मिलित रसोई, सम्मिलित व्यापार, सम्मिलित संस्था, सम्मिलित परिवार का क्षेत्र विस्तृत होता है । सम्मिलित परिवार की प्रवृत्ति से मानव प्राणी की सुख, शांति एवं सफलताओं में आश्चर्यजनक रीति से अभिवृद्धि होती है ।

आर्थिक दृष्टि से लाभ-

आर्थिक दृष्टि से विचार कीजिए तो धन का मितव्यय होता है तथा सम्पन्नता में अभिवृद्धि होती है । पृथक-पृथक रहने पर पृथक चूल्हे जलते हैं, दीपक जलते हैं, भोजन, निवास तथा शिक्षा इत्यादि के निमित्त प्रत्येक छोटे परिवार को पृथक ही व्यय करना पड़ता है । आजकल मकान की समस्या बड़ी विषम है । चार भाई यदि पारस्परिक स्नेह का विकास कर सम्मिलित रहें, तो चार मकानों के स्थान पर एक से ही कार्य चल जायेगा । चार मकान, चार फर्नीचर, फर्श, सजावट के सामान की आवश्यकता प्रतीत न होगी । अतिथियों के लिए अतिरिक्त पलंग, बिस्तर फिर सबको पृथक रखने की क्या जरूरत ? घर के साधारण नौकर जैसे-कहार, रसोइया, मेहतर, चौकीदार, दूध दुहने वाले का व्यय भी एक ही स्थान से किया जा सकेगा और चारों भाइयों को आराम भी प्राप्त होगा । चार भाइयों के एक साथ सम्मिलित रहने में यदि दो सौ रुपये का व्यय है, तो पृथक रहने में चार सौ का व्यय है । एक भाई दूसरे अच्छे भाई के व्यवहार, प्रोग्राम, दिनचर्या को देखकर उसका अनुकरण करेगा, गंदगी से बचेगा, व्यर्थ की आदतों जैसे-सिनेमा, मद्य, सिगरेट, सैर-सपाटा इत्यादि अनेक प्रकार के अपव्यय से बचा रहेगा । जो मैं चाहता हूँ, वह सबको भी होना चाहिए । सबके लिए वही व्यवस्था करने में बहुत व्यय पड़ेगा । केवल मेरे ही लिए यह वस्तु होने से सबको बुरा प्रतीत होगा-ऐसा सोचकर गृह के अन्य सदस्य भी अपनी

आवश्यकताओं पर संयम और मन पर नियंत्रण रक्खेंगे । जब यह नियंत्रण हट जाता है, तो हर व्यक्ति खुले हाथ व्यय करता है । घर की जुड़ी हुई सम्पत्ति नष्ट हो जाती है । झूँठे दिखावे में आदमी बर्बाद हो जाता है ।

इस प्रकार जहाँ एक ओर व्यय में किफायत होती है, वहीं दूसरी ओर सम्पन्नता में वृद्धि होती है । मितव्यय वाला धन क्रमशः एकत्रित होता है । सम्मिलित श्रम से लाभ भी अधिक होता है । घर के विश्वस्त आदमी मिलकर कारोबार में जितना लाभ कर सकते हैं, उतना नौकरों द्वारा नहीं हो सकता । सब की आय एक ही स्थान पर एकत्रित होने से संचित पूँजी में वृद्धि होती है । अर्थशास्त्र का अकाट्य नियम है, 'अधिक पूँजी अधिक लाभ ।' जैसे किसी व्यापार में एक हजार की पूँजी लगाई जाती है, तो दस प्रतिशत लाभ होता है, पर उसी में दस हजार की पूँजी लगाई जावे, तो पंद्रह प्रतिशत लाभ होने लगेगा । सबकी कमाई एक स्थान पर होने से पारिवारिक उद्योग-धन्धे, छोटे-छोटे व्यापार और छोटी कंपनियाँ चालू की जा सकती हैं । ये ही छोटी कंपनियाँ मिल कर बड़ी कंपनियाँ बन जाती हैं ।

प्रत्येक परिवार की एक साख होती है । अच्छी साख वाले परिवार के सदस्य को जीवन में अग्रसर होने में यह पूर्व संचित प्रतिष्ठा-संपदा बहुत लाभ पहुँचाती है ।

मानसिक दृष्टि से लाभ-

मानसिक दृष्टि से विचार कीजिए तो अनेक लाभ हैं । साथ-साथ रहने से सामाजिकता की वृद्धि होती है । मनोरंजन रहता है और तबियत लगी रहती है । चित्त ऊबता नहीं । बच्चों की मीठी तोतली बोली, माता का सुखद वात्सल्य, भाई-बहिनों का सौंदर्य, पत्नी का प्रेम, सबका सहयोग, कष्ट के समय उत्साह जैसे विविध भावों का एक रुचिकर थाल सामने रहता है जिसे खाकर मानसिक क्षुधा तृप्त हो जाती है । पत्नी को लेकर पृथक हो जाने वाले लोग इन षट्रस

मानसिक व्यंजनों से वंचित रह जाते हैं । छोटे बच्चों का खेलना, बड़े बच्चों का पढ़ना, लड़कियों का काढ़ना-बुनना, अध्ययन, संगीत, स्त्रियों की अनुभवपूर्ण बातें, गृहकार्य करना, गृहपति का आगंतुकों से वार्तालाप, वृद्धाओं की धर्म चर्चा एवं नानी की कहानियाँ-किसी में प्रेम, किसी में चख-चख, खटमिट्ठा स्वाद मिलकर कुटुम्ब एक अच्छा मनोरंजन स्थल बन जाता है । यह अपने आप में एक सोसायटी है ।

आपत्ति की सुरक्षा के लिए सम्मिलित कुटुम्ब की प्रथा एक बहुत बड़ी गारंटी है । स्त्रियों के शील-सदाचार की रक्षा के लिए यह एक ढाल के समान है । बीमार पड़ जाने पर इतने व्यक्ति सेवा-शुश्रूषा के लिए प्रस्तुत रहते हैं और रोग मुक्ति का उपाय करते हैं । अपाहिज या अशक्त हो जाने पर भी इस आश्रय का विश्वास रहता है । मृत्यु हो जाने पर स्त्री-बच्चों का पालन-पोषण हो जाने की निश्चिंतता रहती है । पाश्चात्य देशों में जहाँ पृथक परिवार हैं विधवाओं का जीवन बड़ा अश्लील रहता है । उन्हें स्वयं गृह के बाहर का काम-काज करना पड़ता है या अन्यों का मोहताज रहना पड़ता है । हमारे बड़े परिवार में इनके पालन-पोषण तथा संपूर्ण जीवन सुख से व्यतीत करने की अच्छी सुव्यवस्था है । बच्चे, बूढ़े, अपंग, विधवा, पागल सभी को आश्रय प्राप्त हो जाता है ।

बाल मनोविज्ञान के अनुसार बच्चे अनुकरण प्रिय होते हैं । एक अच्छा परिवार एक स्कूल की भांति है, इसमें हर एक बच्चा प्रारंभ से ही घरेलू शिक्षा प्राप्त करता है । वे साथ-साथ खेलते-कूदते, खाते-पीते हैं, उनका शारीरिक और बौद्धिक स्वास्थ्य दिन-प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होता है । परिवार का प्रत्येक बालक बड़ों का अनुकरण कर कुछ न कुछ उत्तम शिक्षा, आदर, स्वभाव की विशेषता ग्रहण करता है ।। यही कारण है कि बड़े प्रतिष्ठित खानदानों की लड़कियाँ प्रायः चतुर, सुसंस्कृत, अच्छी आदतों वाली, सभ्य और व्यवहार कुशल

होती हैं । माँ-बाप की अकेली संतान विशेषकर कन्या बड़े परिवार से पृथक प्राय: अकेली माँ-बाप के साथ रहती हैं, तो वह गृह संचालन के कार्य में बहुत कम सफल हो पाती है । उसके पारिवारिक संस्कार विकसित नहीं हो पाते । बुजुर्गों और अनुभवी व्यक्तियों के गुप्त संस्कार प्रतिपल बच्चों का आत्मिक विकास किया करते हैं । अत: पृथक रहकर बालक उतना विकसित नहीं हो पाता, जितना एक सुसंस्कृत, सुशिक्षित और सात्विक प्रकृति के सुसंचालित परिवार में पनपता है ।

सामाजिक दृष्टिकोण से लाभ-

सामाजिक दृष्टि से सम्मिलित परिवार अधिक प्रतिष्ठित माना जाता है । चार अनुभवी व्यक्तियों के परिवार की सम्मिलित जनशक्ति देखकर प्रतिद्वन्द्वी अनायास मुकाबला नहीं करते, मित्र आकर्षित होते हैं । सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है । सम्मिलित शक्ति के स्वामित्व का भान घर के प्रत्येक सदस्य को रहता है । हर सदस्य समझता है कि किसी ने मेरा अपमान किया तो समस्त परिवार की जनशक्ति उससे प्रतिशोध लेगी । बीस व्यक्तियों के कुटुम्ब में सबकी शक्ति का अनुमान मान लीजिए एक मन है, तो वैसे पृथक-पृथक हर एक का बल दो सेर हुआ । पर एक साथ रहने से समाज में हर एक का बल एक-एक मन समझा जाता है । इस प्रकार हर एक को बीस गुनी शक्ति का लाभ तो अनायास ही प्राप्त हो जाता है ।

पृथक रहने पर तो मनुष्य की जो वास्तविक शक्ति होती है, उससे भी न्यून प्रतीत होती है । दूसरे व्यक्ति समझते हैं कि 'अपनी निजी आवश्यकताओं से इसके पास समय, बल और धन कम ही बचता होगा, अत: यह किसी को हानि-लाभ न पहुँचा सकेगा ।' इस मान्यता के आधार पर यह व्यक्ति वास्तविक स्थिति से भी छोटा प्रतीत होने लगता है । ऐसी स्थिति में देश या समाज की सेवा के निमित्त कोई महान् त्याग करने के लिए भी वह व्यक्ति तत्पर नहीं हो

पाता । यदि हो भी जाता है तो उसे अतीव चिन्ता रहती है तथा उसके आश्रितों की कठिनाई का ठिकाना नहीं रहता ।

धार्मिक दृष्टि से लाभ-

धार्मिक दृष्टि से सम्मिलित परिवार कर्तव्य, संयम, त्याग, निःस्वार्थता, सेवा-भावना की शिक्षा का पुण्य स्थान है । माता-पिता, बड़े भाई, सास, ननद, जिठानी आदि के प्रति जो कर्तव्य है, वह सम्मिलित कुटुम्ब में रह कर ही निभाया जा सकता है । बड़े का सत्कार, सेवा, आदर तभी संभव है, जब वह उनके साथ रहें । बड़े भी अपने अनुभव का लाभ छोटों को उसी दशा में दे सकते हैं । जिन बड़ों ने एक बालक को गोदी में खिलाया है और एक युग तक बड़ी-बड़ी आशाएं रक्खी हैं, वह समर्थ होते ही पृथक हो जाता है, तो उन्हें भयंकर मानसिक आघात लगता है । यह धार्मिक दृष्टि से एक कृतघ्नता है । ऐसी कृतघ्नता को अपनाने से मनुष्य अपने सहज धर्म लाभ से, कर्तव्य पालन से वंचित रह जाता है ।

जो परिवार को अपना धर्म क्षेत्र मानकर, नाना प्रकार के पुण्य कर्तव्यों का पालन करते हुए उसके द्वारा प्रभु पूजा करते हैं, वे सच्चा आत्म लाभ करते हैं । अपना परिवार परमेश्वर के द्वारा आपको सौंपा हुआ एक उद्यान है । उसमें नाना प्रकार के छोटे-बड़े पौधे लगे हुए हैं । एक कर्तव्यशील माली की तरह आपको प्रत्येक छोटे-बड़े पौधे को सींचना है । जो इस प्रकार अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, वे एक प्रकार की योग साधना करते हैं और योग के फल को प्राप्त करते हैं । अपने निजी सीमित स्वार्थ की दृष्टि को विस्तृत करके जब मनुष्य उसे स्त्री, पुत्र, पौत्र, परिजन आदि तक फैलाता है, तब उसके 'स्व' भाव का विस्तार द्रुतगति से होने लगता है । फिर ग्राम, देश, विश्व से बढ़ कर वसुधैव कुटुम्बकम् की उसकी दृष्टि हो जाती है और अपना सब कुछ आत्मा का, परमात्मा का दीखने लगता है, यही जीवन मुक्ति है ।

इस प्रकार सम्मिलित परिवार एक सुदृढ़ गढ़ है, जिसमें कोई भी बाहर का व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता, कोई हानि नहीं पहुँचा सकता, सर्वतोमुखी उन्नति हो सकती है । पर खेद के साथ स्वीकार करना पड़ता है कि आज हमारे अधिकांश सम्मिलित परिवार कलह और मनोमालिन्य के शिकार हैं । इसका कारण मुखिया (अधिष्ठाता, घर का प्रधान) की कमजोरियाँ हैं । यदि प्रधान मनुष्य मनोविज्ञान का अच्छा जानकार है, बच्चों, बूढ़ों, युवकों और स्त्री-स्वभाव को अच्छी तरह समझता है तो वह कुटुम्ब में कलह का अवसर ही न आने देगा । उसे बड़ा अनुभवी, दूरदर्शी, न्यायसंगत, निःस्वार्थ, निष्पक्ष, शांत स्वभाव का होना चाहिए । उसका विवेक जागृत रहे, वह शांति से सबके पक्ष सुने, विचारे और तत्पश्चात् निर्णय प्रदान करे । वह परिवार का कन्ट्रोलर या पथ प्रदर्शक है, उसे आने वाली कठिनाइयाँ, घर की आर्थिक सुव्यवस्था, विवाह संबंधों की चिन्ता, युवकों की नौकरियाँ, स्त्रियों के स्वास्थ्य और शिशु पालन का ज्ञान होना अपेक्षित है । अनेक बार उसे युक्ति से काम लेना पड़ेगा, प्रशंसा और प्रेरणा देनी होगी, क्रोध और डाँट-फटकार का प्रयोग कर पथ भ्रष्टों को सन्मार्ग पर लाना होगा और आर्थिक कार्यों में आगे बढ़ाना होगा । अपनी धार्मिक उज्ज्वलता से उसे परिवार के सब सदस्यों का आदर और प्रतिष्ठा का पात्र भी बनना होगा ।

पारिवारिक प्रजातंत्र के सुख

सम्मिलित कुटुम्ब प्रथा कितनी लाभदायक एवं उपयोगी है, इसका विवेचन किया जा चुका है । इसकी इतनी उपयोगिता देखकर ही समाज में इसका प्रचलन हुआ था । अब भी कोई व्यक्ति अपने परिवार से पृथक होने की मांग करता है तो वह स्वार्थी समझा जाता है । जो लोग शामिल रहते हैं, वे उदार दृष्टिकोण के सतोगुण प्रधान समझे जाते हैं ।

उपर्युक्त तथ्य के होते हुए भी आज हम देखते हैं कि सम्मिलित परिवारों में क्लेश, कलह, मनोमालिन्य, ईर्ष्या, द्वेष, आपाधापी, दुराव एवं कपट का बोलबाला है । घर में जो अधिक कमाता है, जो अधिक चतुर है, जिसकी चलती है वह अपने तथा अपने स्त्री-पुत्रों के स्वार्थ साधन को प्रधानता देता है और परिवार के अन्य सदस्यों की उपेक्षा करता है । बड़े छोटों पर रोब गांठते और उन्हें उचित-अनुचित तरीके से दबाते हैं । छोटे बड़ों का समुचित आदर नहीं करते । उनकी कर्कशता के प्रतिरोध में अपमानजनक शब्द कहते तथा अवज्ञा करते हैं । कोई काम से जी चुराता है, किसी को अत्यधिक श्रम करना पड़ता है । खान-पान, आदर-सम्मान, कपड़े-जेवर, श्रम-विश्राम, आना-जाना, मनोरंजन, जेब खर्च, बीमारी, चिकित्सा आदि में जब असमानता का व्यवहार होता है तो ईर्ष्या के अंकुर मन में उठते हैं । यह जब बराबर पनपते रहते हैं, बराबर उनमें पानी लगता रहता है, एक के बाद दूसरी घटनाएं इन अंकुरों को पुष्ट करने के लिए उपस्थित होती रहती हैं तो मनोमालिन्य की जड़ें मजबूत हो जाती है और नारंगी की तरह बाहर से एक दीखते हुए भी भीतरी ही भीतर उस परिवार में पृथकता मजबूत हो जाती है । ऐसे परिवार उन सब लाभों से वंचित रह जाते हैं जो कि सम्मिलित कुटुम्ब प्रथा में मिलने चाहिए । असंतुष्ट सम्मिलित परिवारों की स्थिति कई

बार तो पृथक-पृथक रहने की अपेक्षा भी अधिक बुरी हो जाती है ।

पारिवारिक कलह, असंतोष और मनोमालिन्य का कारण व्यवस्थाक्रम में गड़बड़ी है । परिवार एक राज्य है । इसकी व्यवस्था, प्रणाली, शासन पद्धति भी राज्य व्यवस्था के ढंग पर ही होनी चाहिए । प्राचीन काल में राज तंत्र का सिद्धांत उपयोगी भी था और सर्व प्रिय भी । पर आज समय बहुत बदल गया है । सांसारिक, सामाजिक, मानसिक परिस्थितियों में भारी हेर-फेर हो गया है । इसलिए राजतंत्र के स्थान पर प्रजातंत्र को पसंद किया गया है । इंग्लैण्ड आदि देशों में जहाँ राजतंत्र कायम है, वहाँ भी प्रजा का हित ही प्रधान है । प्रजातंत्र के तीन प्रमुख सिद्धांत हैं । (१) जनता द्वारा शासन, (२) जनता के हित के लिए शासन, (३) हर नागरिक के अधिकार की रक्षा । इसी आधार पर हमें पारिवारिक प्रजातंत्र की स्थापना करनी चाहिए । वैधानिक प्रधान घर का मुखिया रहेगा पर गृह नीति के संचालन में परिवार के सदस्यों का समुचित हाथ रहना चाहिए ।

घर के लोगों की नित्य नहीं तो प्रति सप्ताह एक बैठक अवश्य होनी चाहिए, जिसमें विचार-विनिमय के लिए सबको अवसर मिले । इस बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की जावें । (१) हर सदस्य अपनी कठिनाई, इच्छा तथा आवश्यकता बतावें । (२) गृह नीति में जो दोष हों या दूसरे सदस्य जो भूल कर रहे हों, उसे बतावें । (३) पारिवारिक उन्नति के लिए जो सुझाव हों, उन्हें रखें, (४) घर से बाहर की व्यापारिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक समस्याओं पर विचार प्रकट करें । बैठक में घर का प्रधान एक-एक करके घर के हर सदस्य से यह चारों प्रश्न पूछे और बिना किसी संकोच के निर्भयतापूर्वक किन्तु नम्रता और प्रेम मिश्रित वाणी में अपनी-अपनी बात विस्तारपूर्वक कहने के लिए हर सदस्य को अवसर दिया जाय । पर्दा प्रथा के कारण जो नव वधुएँ अपने विचार खुद नहीं

प्रकट करना चाहती हैं वे किसी दूसरे के द्वारा अपनी बात कहलवा सकती हैं ।

फूट और लड़ाई का अधिक आधार गलत-फहमी पर निर्भर रहता है । जब आपस में विचारों का आदान-प्रदान होता रहता है तो बहुत सी गलत-फहमी दूर होती जाती हैं और किसी ने जो भूल की थी वह सुधार लेता है । इस प्रकार इन बैठकों से लड़ाई का आधा भाग तो अपने आप नष्ट हो जाता है । शेष बातों के संबंध में आपसी विचार-विनिमय से ऐसे मार्ग ढूँढ़े जा सकते हैं जिनसे कठिनाइयाँ कम हों और सुविधाएँ बढ़ें ।

जब घर का हर सदस्य यह समझता है कि गृह व्यवस्था में मेरा भी हाथ तथा अधिकार है, मेरे स्वार्थ भी समान रूप से सुरक्षित हैं तो फिर कोई कारण नहीं कि वह सम्मिलित रहने के इतने लाभों को छोड़कर पृथकता की कठिनाई और जिम्मेदारी को अपने ऊपर लादना चाहे । यदि समानता, सम्मान, सुहृदयता और स्वार्थ रक्षा की चतुर्विधि व्यवस्था हर सदस्य के लिए बरती जाय तो परिवार सुदृढ़ आधार पर खड़े रहेंगे और अलग होने की आवश्यकता न पड़ेगी ।

घर में सब लोग एक दूसरे का उचित सम्मान करें । कोई किसी के स्वाभिमान पर चोट न पहुँचावे । रोगी, बालक, वृद्ध या किसी विशेष स्थिति की बात छोड़कर भोजन के संबंध में समानता बरती जाय । स्वास्थ्य, आयु और योग्यता के अनुसार सबके काम बँटे हुए हों । न कोई निठल्ला रहे और न किसी को अत्यधिक श्रम करना पड़े । अपनी स्थिति के अनुसार थोड़ा-थोड़ा जेब खर्च भी हर एक को मिलता रहे जिसे वे स्वेच्छापूर्वक खर्च कर सकें । एक दूसरे की गतिविधि पर ध्यान रखें । समानता का अर्थ बालक और वृद्ध को समान मात्रा में भोजन देना या लड़की और नव वधू को बराबर कपड़े-जेवर बनवाना नहीं है । अपनी-अपनी स्थिति और आवश्यकता के अनुरूप सबको चीजें दी जाँय । आवश्यकता के

अनुकूल वस्तुएँ देना ही समानता का वास्तविक तात्पर्य है । यदि रोगी को फल मिलते हैं तो निरोगी का भी वही माँगना–यह समानता नहीं है । घर की आर्थिक स्थिति का, आय–व्यय का ब्यौरा घर के समस्त बालिगों को मालूम रहना चाहिए ।

इस प्रकार पारिवारिक प्रजातंत्र की स्थापना से गृह शासन भली प्रकार चल सकता है । सबकी विचारधारा का समन्वय होने से उत्तम गृहनीति बन सकती है । जब परिवार अधिक बढ़ने लगे या स्वभावों में असाधारण अन्तर होने से किसी की पटरी न बैठती हो तो 'प्रांतीय स्वाधीनता' दी जानी चाहिए । केन्द्रीय सरकार के अधीन, गृह स्वामी की देख–रेख में, अलग छोटे उपपरिवार भी बनाये जा सकते हैं । लड़–झगड़ कर अलग होने की अपेक्षा सहमति, स्वीकृति और संरक्षता में पृथक होना कहीं अच्छा है । स्त्रियों का संघर्ष चौका–चूल्हा अलग कर देने या काम बांट देने से दूर हो जाता है । पुरुषों का संघर्ष कार्य क्षेत्र की पृथकता से मिट जाता है ।

संकीर्ण, अनुदार, तुच्छ दृष्टिकोण के कारण घर में संघर्ष होते हैं । अपने निजी स्वार्थों की परवाह न करके घर के अन्य सदस्यों के हित का समुचित ध्यान रखा जाय, आपस में प्रेम, सहानुभूति, सेवा, सहायता एवं समानता का उदार धार्मिक दृष्टिकोण रखा जाय तो परिवार का प्रजातंत्र बड़ी अच्छी तरह चल सकता है । यह प्रजातंत्र घर में शांति रख सकता है, सुव्यवस्था रख सकता है । शत्रुओं को परास्त कर सकता है, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा सकता है और घर के हर एक व्यक्ति को सुरक्षा, सुविधा, निश्चिन्तता, प्रसन्नता तथा सम्पन्नता प्रदान कर सकता है । ऐसे प्रजातंत्र की प्रजा अपनी अपनी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर निरंतर अग्रसर हो सकती है ।

आइए ! हम लोग अपने घरों में पारिवारि प्रजातंत्र की स्थापना करके गृह–स्वराज्य का उपभोग करें ।

हमारे परिवार के आपसी संबंध

परिवार एक प्रकार का प्रजातंत्र है, जिसमें मुखिया प्रेसीडेंट है तथा परिवार के अन्य सदस्य प्रजा हैं । पिता-माता, पुत्र, भाई, बहिन, चाचा-चाची, भाभी, नौकर इत्यादि सभी का इसमें सहयोग है । यदि सभी अपने संबंध आदर्श बनाने का प्रयत्न करें, तो हमारे समस्त झगड़े क्षण मात्र में दूर हो सकते हैं ।

पिता और पुत्र-

पिता का उत्तरदायित्व सबसे अधिक है । वह परिवार का अधिष्ठाता है, आदेश कर्ता और संरक्षक है । उसके कर्तव्य सबसे अधिक हैं । वह परिवार की आर्थिक व्यवस्था करता है, बीमारी में दवा-दारू, कठिनाई में सहायता, कुटुम्ब की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता है । संपूर्ण कुटुम्ब उसी की बुद्धि, योजनाओं, योग्यताओं और पथ प्रदर्शन पर निर्भर हैं ।

क्या आप पिता हैं ? यदि हैं तो आप पर उत्तरदायित्व का सबसे अधिक भार है । घर का प्रत्येक व्यक्ति आपसे पथ प्रदर्शन की आशा करता है । संकट के समय सहायता, मानसिक क्लेश के समय सान्त्वना और शैथिल्य में प्रेरणात्मक उत्साह चाहता है । पिता बनना सबसे कठिन है क्योंकि इसमें छोटे-बड़ों सभी को इस प्रकार संतुष्ट रखना पड़ता है कि किसी से कटुता भी न हो और कार्य भी होता रहे । घर के सब झगड़े भी दूर होते चलें और किसी के मन में गांठ भी न पड़े । परिवार के सब सदस्यों की आर्थिक आवश्यकताएँ भी पूर्ण होती रहें और कर्ज भी न हो । विवाह, उत्सव, यात्राएँ हों और दान भी यथाशक्ति दिये जाते रहें ।

पुत्रों को पिता से कितनी प्रेरणा मिल सकती है और पथ प्रदर्शन हो सकता है, इस संबंध में कुछ विद्वानों के अनुभव देखिये । युवक कैक्सटन कहता है-

"मैं प्राय: औरों के साथ की लंबी सैर छोड़, क्रिकेट का खेल छोड़, मछली का शिकार छोड़ अपने पिता के साथ बाहर बगीचे की चहरदिवारी के किनारे धीरे-धीरे टहलने जाता । वे कभी तो चुप रहते, कभी बीती हुई बातों को सोचते हुए आगे की बातों की चिन्ता करते, पर जिस समय वे अपनी विद्या के भंडार को खोलने लगते और मध्य में चुटकुले छोड़ते जाते, उस समय एक अपूर्व आनंद आ जाता था ।" कैक्सटन थोड़ी सी कठिनाई आ जाने पर पिता के पास जाता था और अपने हौसलों और आशाओं को उन्हीं के सामने कहता । वे उसे नई प्रेरणा से भर देते थे ।

डाक्टर ब्राउन कहते हैं-"मेरी माता की मृत्यु के उपरांत मैं उन्हीं (पिता) के पास सोता था । उनका पलंग उनके पढ़ने के कमरे में रहता था, जिसमें एक बहुत छोटा सा आतिशदान भी था । मुझे अच्छी तरह स्मरण है कि किस प्रकार वे उन मोटी बेढंगी जर्मन भाषा की पुस्तकों को उठाते थे और उनसे चारों ओर से घिर कर उनमें गड़ जाते थे । पर कभी कभी ऐसा होता कि बहुत रात गये या सबेरा होते-होते मेरी नींद टूटती और मैं देखता कि आग बुझ गई है, उजेला खिड़की के रास्ते से कुछ-कुछ आ रहा है, उनका सुंदर गंभीर मुख झुका हुआ है और उनकी दृष्टि उन्हीं पुस्तकों की ओर गड़ी हुई है । मेरी आहट सुन कर वे मुझे मेरी माँ का रक्खा हुआ नाम लेकर पुकारते और बिस्तर पर आकर मेरे गरम शरीर को छाती से लगा कर सो रहते ।" इस वृतांत से हमें उस स्नेह और विश्वास का आदर्श मिलता है, जो पिता-पुत्र में होना चाहिए ।

आज के युग में पिता-पुत्र में जो कडुवाहट आ गयी है वह नितांत संकुचितता है । पुत्र अपने अधिकार माँगता है किन्तु कर्तव्यों से मुख मोड़ता है । जमीन-जायदाद में हिस्सा माँगता है, किन्तु वृद्ध पिता के आत्म सम्मान, स्वास्थ्य, उत्तरदायित्व, इच्छाओं पर तुषारपात करता है । पुत्रों ने परिवार के बंधन शिथिल कर दिये हैं । घर-घर में

व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा अनुशासन विरोध का कुचक्र फैल रहा है । यह प्रत्येक दृष्टि से निन्दनीय एवं त्याज्य है ।

पुत्र-पिता से क्या-क्या सीखता है ?

पिता-पुत्र का संबंध बड़ा पवित्र है । पिता को पुत्र के मनोविकारों की अच्छी जानकारी होती है । उसका पुत्र के साथ तीन प्रकार का संबंध होता है । (१) पथ प्रदर्शक का, (२) तत्व चिंतक का, (३) मित्र का ।

पिता के संरक्षण में पुत्र निरंतर कुछ न कुछ सीखता है । पिता को चाहिए कि बड़ी सावधानी से जीवन में आने वाले प्रलोभनों, कठिनाइयों तथा अन्य आवश्यक जानकारियों का परिचय वह पुत्र को करा दे । बड़ा होने पर पुत्र के साथ वही व्यवहार किया जाय, जो मित्र के साथ होता है । पिता-पुत्र के अच्छे संबंधों का गुर यही है कि ज्यों-ज्यों पुत्र बड़ा होता जाय त्यों-त्यों पिता उस पर अनुशासन कम करता जाय, उसे मित्र बनाने का उपक्रम करे, महत्वपूर्ण बातों में उससे सलाह ले, उसकी राय लेकर रुपया व्यय करे और उस पर यह धाक जमा दे कि वह उसका पूर्ण विश्वास करता है । पिता-पुत्र के स्नेह में यद्यपि मृदुलता कम रहती है, पर विश्वास की मात्रा अधिक रहती है । यद्यपि आवेग कम करता है, पर विवेक बुद्धि, नियंत्रण, तर्क और विचार शीलता अधिक रहती है । यद्यपि अवलंबन का मृदुल भाव कम रहता है, पर समता की बुद्धि विशेष रहती है ।

बुद्धिमान तथा सुशील पिता से जितना हम सीख सकते हैं उतना सैकड़ों शिक्षकों से नहीं । पिता सबसे बढ़ कर हितैषी-शिक्षक है, जिसके पाठ हम न केवल उसके मुख से, वरन् उसके कार्यकलाप, आचार, व्यवहार, चरित्र, नैतिकता सबसे ग्रहण करते हैं । उसके धैर्य, आत्मनिग्रह, कोमल स्वभाव, संवेदनाओं की तीव्रता, शिष्टता, पवित्रता और धर्म परायणता आदि गुण का स्थायी प्रभाव पुत्र पर प्रतिपल पड़ता रहता है ।

माता का प्रभाव-

माता स्नेह की साक्षात् प्रतिमूर्ति है । उसकी भावनाओं तथा दूध पिलाते समय की आकांक्षाओं से हमारे मनोजगत का निर्माण हुआ करता है । माता बचपन में बालक को जैसी कहानियाँ, आपबीती, चुटकुले या और बातें सुनाया करती है, वे बालक के अन्तर्प्रदेश में प्रवेश करके ग्रन्थियों का निर्माण करते हैं । माता की लोरियाँ विशेष प्रभावशाली होती हैं । बालक अर्द्धनिद्रा में निमग्न है । माता लोरी गा-गा कर उसे सुला रही है । यह एक प्रकार की आत्म प्रेरणा है, जो धीरे-धीरे उसके बनते हुए गुप्त मन पर प्रभाव डाल रही है । इसी से उसका मानसिक संस्थान बनता है । माता की पूजा एक आध्यात्मिक साधन है जिससे मन को शांति प्राप्त होती है । माता भी पुत्र को उन्हीं अंशों तक दबाती है, जहाँ तक उसके 'अहं' पर ठेस न पहुँचे । वह पुत्र के लिए महान त्याग को प्रस्तुत करती है । पुत्र के लिए वह जो कुछ कर दे, थोड़ा ही गिना जायेगा ।

माता-पिता के संबंध में पं. रामचन्द्र शुक्ल का मत श्रेष्ठ है । आप लिखते हैं-''पुत्र को माता-पिता के व्यय का, उससे अधिक अनुभव का, उनके उन दुःखों का जिन्हें उनने उसके लिए उठाया है, सर्वदा ध्यान रखना चाहिए । पुत्र को पिता के स्वाभाविक बड़प्पन को स्नेहपूर्वक खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए । बहुत से पुत्र ऐसे होते हैं, जो बिलकुल बुरे, बेकहे और स्नेह शून्य तो नहीं होते, पर वे अपने पिता के साथ मान-मर्यादा का भाव छोड़ इस प्रकार के हेल-मेल का व्यवहार रखते हैं मानो उनका गहरा सगा हो । वे उससे चलती बाजारू बोली में बातचीत करते हैं और वे उसके प्रति इतना सम्मान भी नहीं दिखाते जितना एक बिना जाने-सुने आदमी के प्रति दिखलाते हैं । यह बेअदबी तिरस्कार से भी बुरी है ।''

भाई-भाई का व्यवहार-

भाई-भाई के झगड़ों के कारण एक ही घर में दीवार खिंच

जाती है और थोड़ी सी बात में झगड़ा बढ़ सकता है । भाइयों में पारस्परिक कटुता के कारण प्रायः ये होते हैं-(१) जायदाद का बंटवारा, (२) पिता का एक पर अधिक स्नेह, दूसरे का तिरस्कार, (३) एक भाई का अधिक पढ़-लिख संपन्न होना, दूसरे की हीनता, (४) मिथ्या गर्व और अपने बड़प्पन की मिथ्या भावना, (५) अशिष्ट व्यवहार, (६) एक भाई की कुसंगति, दुर्व्यसन या व्यभिचार इत्यादि दुर्गुण, (७) उनकी पत्नियों का मन परस्पर न मिलना ।

उपर्युक्त कारणों में से कोई भी उपस्थित होने पर बड़े भाई को पूर्ण शांति और विवेक से छोटे की मनोवृत्ति पर ध्यान देना और उसका सूक्ष्म अध्ययन करना चाहिए । कभी-कभी तनिक से विवेक-बुद्धि और शांति से बड़े काम चलते हैं । गर्मा-गर्मी में आने से अपशब्द निकलते हैं, बड़े भाई के आत्म सम्मान एवं प्रतिष्ठा की हानि होती है । यदि एक दूसरे के लिए थोड़ा सा त्याग कर दिया जाय, तो अनेक झगड़े तय हो सकते हैं ।

जायदाद के बंटवारे के मामले में किसी बाहरी सज्जन को डालकर उचित बंटवारा कराना और जितना मिले उसी में प्रत्येक को संतोष रखना चाहिए । यदि हम थोड़ा सा त्याग करने को प्रस्तुत रहें, तो कोई कठिनाई आ ही नहीं सकती । यदि पिता एक पुत्र पर अधिक तथा दूसरे पर कम प्रेम प्रकट करते हैं, तो भी व्यग्र होने का कोई कारण नहीं है । पिता के हृदय में सबके प्रति समान प्रेम है । चाहे वे प्रकट एक पर ही करें, वह प्रत्येक पुत्र-पुत्री को समभाव से प्रेम करते हैं । इस प्रकार का दृष्टिकोण रखने से हम अनेक कलुषित और अनर्थकारी विचारों से बच सकते हैं ।

झगड़ा कराने में पत्नियों का विशेष हाथ रहता है । उनमें ईर्ष्या का दुर्गुण बहुत मात्रा में होता है । यदि पत्नियों को शिक्षा दी जावे और कुशलता से स्त्री स्वभाव की इस कमजोरी का ज्ञान करा दिया जावे, तो अनेक झगड़े प्रारंभ ही न हों । एक अच्छा नियम यह है कि

पत्नी की बातों में न आया जाय और गलतफहमी से बचा जाय । यदि कोई गलतफहमी आ जाय तो शांति से उसे दूर करना उचित है । उसे हृदय में रखना पाप की मूल है । बाहर वालों के कहने में कदापि न आना चाहिए ।

भाई से अपनी आत्मा और रक्त का संबंध है । दोनों में उसी आत्मा का अंश है, उसी रक्त से उनके शरीर, मन तथा भावनाओं का निर्माण हुआ है । उसमें कटुता का तत्व किसी तीसरे के षडयंत्र से उत्पन्न होता है । समाज में ऐसे व्यक्तियों की न्यूनता नहीं है, जो परस्पर युद्ध करा दें । अतः उनसे बड़े सावधान रहें ।

भाई आपका सबसे बड़ा मित्र और हितैषी है । बड़ा भाई पिता तुल्य गिना जाता है । छोटा भाई आड़े समय अवश्य काम आता है, सेवा करता है । एक और एक मिलकर ग्यारह बनते हैं । यदि दो भाई मिल-जुल कर अग्रसर हों तो संसार में निर्विघ्न चल सकते हैं । एक दूसरे के आड़े समय पर काम आ सकते हैं, आर्थिक सहायता कर सकते हैं और एक के मरने पर दूसरे के कुटुम्ब का पालन-पोषण कर सकते हैं । वे भाई धन्य हैं जो मिल-जुल कर चलते हैं ।

छोटा भाई बड़े भाई में पथ प्रदर्शक, हितैषी एवं संरक्षक की प्रतिच्छाया देखता है । उसके लिए बड़े भाई को वही त्याग और बलिदान करने चाहिए जो एक पिता अपने पुत्र के लिए करता है । पिता की मृत्यु के पश्चात् ज्येष्ठ पुत्र के ऊपर संपूर्ण उत्तरदायित्व आ जाता है ।

संतान के साथ हमारा व्यवहार-

ईश्वर ने जो संतान तुम्हें दी है, वह अनेक जन्मों के वरदान और उपहार स्वरूप प्राप्त हुई हैं । उसे परमेश्वर का अनुग्रह समझ कर ग्रहण करना चाहिए । संतान के प्रति सच्चा और निष्कपट प्रेम करना चाहिए । यह अनुचित लाड़-दुलार या झूठा स्नेह न हो, जो तुम्हारी स्वार्थपरता और मूर्खता से उत्पन्न होता है और उनके जीवन को नष्ट करता है ।

तुम यह कभी न भूलो कि तुम्हारे गृह में पदार्पण करने वाले तुम्हारे आत्म स्वरूप ये बालक भावी नागरिक हैं, जो समाज और देश का निर्माण करने वाले हैं । ईश्वर की ओर से तुम्हारा यह कर्तव्य है कि उनकी सुशिक्षा, शिष्टता तथा परिष्कार की समस्या में हम पर्याप्त दिलचस्पी लें ।

तुम अपनी संतान को केवल जीवन के सुख और इच्छा पूर्ति मात्र की ही शिक्षा न दो, वरन् उनको धार्मिक जीवन, सदाचार और कर्तव्य पालन, आध्यात्मिक जीवन की भी शिक्षा प्रदान करो । इस स्वार्थमय समय में ऐसे माता-पिता विशेषत: धनवानों में बिरले ही मिलेंगे, जो संतान की शिक्षा के भार को, जो उनके ऊपर है, ठीक-ठीक परिमाण में तोल सकें ।

जैसा वातावरण तुम्हारे घर का है, उसी सांचे में ढल कर तुम्हारी संतानों का मानसिक संस्थान, आदतें, सांस्कृतिक स्तर का निर्माण होगा । जबकि तुम अपने भाइयों के प्रति दयालु, उदार और संयमी नहीं हो, तो अपनी संतान से क्या आशा करते हो कि वे तुम्हारे प्रति प्रेम दिखलाएंगे ? जब तुम अपना मन विषय-वासना, आमोद-प्रमोद तथा कुत्सित इच्छाओं से नहीं रोक सकते, तो भला वे क्यों न कामुक और इन्द्रिय लोलुप होंगे ? यदि तुम मांस, मद्य या अन्य अभक्ष्य पदार्थों का उपभोग करते हो, तो वे भला किस प्रकार अपनी प्राकृतिक पवित्रता और दूध जैसी निष्कलंकता को सुरक्षित रख सकेंगे ? यदि तुम अपनी अश्लील और निर्लज्ज आदतों, गंदी गालियां, अशिष्ट व्यवहारों को नहीं छोड़ते, तो भला तुम्हारे बालक किस प्रकार गंदी आदतें छोड़ सकेंगे ?

तुम्हारे शब्द, व्यवहार, दैनिक कार्य, सोना, उठना, बैठना ऐसे सांचे हैं, जिनमें उनकी मुलायम प्रकृति और आदतें ढाली जाती हैं । वे तुम्हारी प्रत्येक सूक्ष्म बात देखते और उनका अनुकरण करते हैं । तुम उनके सामने एक मॉडल, एक नमूने या आदर्श हो । तुमसे ही वे

बहुत कुछ सीखते हैं । इसलिए यह तुम्हीं पर निर्भर है कि तुम्हारी संतान मनुष्य हो या मनुष्याकृति वाला नर पशु ।

पारिवारिक मनोरंजन-

हमारे परिवारों में आमोद-प्रमोद का कोई विशेष ध्यान नहीं रक्खा जा रहा है, फलतः वह दुःख से भरे हैं । हम अपने परिवार से अनेक प्रकार के काम तो चाहते हैं, उनके लिए पुनः पुनः उनसे कहते हैं, किन्तु हम यह नहीं सोचते कि परिवार में मनोरंजन के कितने साधन हमने एकत्र किये हैं । सौ में अस्सी प्रतिशत परिवार अशिक्षा के अंधकार से घनीभूत हैं । उनमें आमोद-प्रमोद की आवश्यकता ही अनुभव नहीं की जाती । जिन परिवारों में आमोद-प्रमोद का ध्यान नहीं दिया जाता, वहाँ के व्यक्तियों का जीवन बड़ा शुष्क और व्यस्त रहता है । वहाँ के व्यक्ति अल्पायु होते हैं ।

प्रफुल्लता, हँसी-मजाक, मनोविनोद, मनोरंजन जीवन के लिए उतने ही आवश्यक हैं, जितने भोजन, वायु, वस्त्र तथा जल । प्रत्येक बुजुर्ग का यह कर्तव्य होना चाहिए कि अपनी रुचि, परिस्थिति, आय, समय तथा आवश्यकता के अनुसार स्वयं पूरे परिवार के लिए यहाँ तक कि प्रत्येक सदस्य के लिए आमोद-प्रमोद की व्यवस्था करे । हम यह नहीं कहते कि सबको उच्च कोटि के अधिक खर्च वाले मनोरंजन ही प्राप्त हों, हाँ किसी न किसी प्रकार का विनोद अवश्य मिले । साधारण परिवार के लिए हम यहाँ कुछ उपयोगी सुझाव प्रस्तुत करते हैं-

जिन परिवारों में लोगों का पेशा या व्यवसाय शारीरिक श्रमपूर्ण है, जो दिन भर अपने शरीर से परिश्रम कर, पसीना बहा कर द्रव्योपार्जन करते हैं, उनके आमोद-प्रमोद मूलतः मानसिक होने चाहिए । वे मनोरंजन के ऐसे साधन निकालें जिनसे उनके थके हुए शरीर को अधिक परिश्रम न करना पड़े, प्रत्युत मानसिक दृष्टि से भी उन्हें प्रसन्नता के साधन मिल जांय । ऐसे व्यक्तियों के लिए उनका

पठन-पाठन उत्तम मनोरंजन का साधन हो सकता है । वे नई-नई पुस्तकें पढ़ें । अपना अधिकांश समय पुस्तकालय में बिताएँ और नये-नये समाचार-पत्र, साप्ताहिक पत्र, मासिक पत्र पढ़ें और मनोरंजन के साथ ज्ञान-वृद्धि भी करें ।

मजदूर, श्रमिक, मिल के कर्मचारी, दुकानदार, मिस्त्री, बाहरी फेरी लगाने वाले, काश्तकार जितना मनोरंजन पुस्तकों तथा समाचार-पत्रों से प्राप्त कर सकते हैं, उतना सिनेमा से नहीं । सिनेमा का मनोरंजन मंहगा और अश्लील है । सरस कविता के उच्च स्वर से पाठ करने में थकान और शुष्कता दोनों दूर हो जाते हैं । इसके द्वारा गंभीर और चिंतनशील पाठक उत्तम सांस्कृतिक और सात्विक मनोरंजन प्राप्त कर सकता है । कविताएँ, गीत, दोहे, चौपाई सस्ते से सस्ते सात्विक मनोरंजन हैं ।

रात्रि में नित्य के भोजन से निवृत्त होकर पूरा परिवार बैठ जाय, एक व्यक्ति कोई मनोरंजक पुस्तक, समाचार-पत्र, पौराणिक धार्मिक ग्रंथ या रामायण इत्यादि काव्य उच्च स्वर से पढ़े, अन्य उसे सुनें । यदि परिवार में पुस्तक, समाचार-पत्र या मासिक पत्र मँगाने की सामर्थ्य हो, तो घर में एक घरेलू पुस्तकालय खोला जाय और साहित्य का आनंद लूटा जाय । प्रत्येक परिवार में ऐसे पत्र-पत्रिकाएं मँगवाये जायँ, जिनसे ज्ञानवर्द्धन के साथ-साथ समाचार और मनोरंजन दोनों प्राप्त होते रहें ।

सिनेमा के मनोरंजन के पक्ष में हम नहीं हैं । हाँ, यदि कोई उच्च कोटि का सामाजिक या धार्मिक चित्र आ जाय तो दूसरी बात है । यह स्मरण रहे कि हमारे अधिकांश फिल्म अत्यन्त विषैली, कामोत्तेजक सामग्रियों से भरे हुए हैं और यदि संभल कर चुनाव न किया जाय, तो यह मनोरंजन हमारे समाज को पतन और मृत्यु के मार्ग में ढकेल सकता है । हमें चाहिए कि परिवार के लिए घरेलू खेलों को अपनावें । जब सिनेमा न था, अखाड़ों की मिट्टी बोलती थी

और भजन, कीर्तन, पूजा में दिल हँसते-रोते थे । रामायण तथा महाभारत की कथाएं, आल्हा के छन्द हमारी रगों में रक्त बनकर दौड़ते थे । हम देशी खेल-कूद, तैरना इत्यादि से स्वस्थ रहते थे । पुराने काल में मनोरंजन से स्वास्थ्य और आचरण दोनों ही ठीक रहते थे । हमें चाहिए कि पुनः उन सात्विक मनोरंजनों को अपनावें और उच्छृंखलता तथा गृहकलह उत्पन्न करने वाले सिनेमा के विषैले मनोरंजन से बचें ।

भारतीय परिवारों के लिए संगीत मनोरंजन का उत्कृष्ट साधन है । भारतीय नारी का यह विशेष आभूषण है । वे अपने कटु अनुभवों को संगीत की स्वर-लहरी में तिरोहित कर सकती हैं । जो भी वाद्ययंत्र रुचे-हारमोनियम, सितार, तम्बूरा, ढोलक-उसी पर गाना चाहिए । जो कविता उत्तम जँचे, जो काव्य ग्रंथ रुचे, जिस कवि की वाणी मीठी लगे, उसे ही उन्मुक्त कंठ से पाठ करना चाहिए । संगीत और वादन मनोरंजन के सात्विक साधन हैं ।

परिवार के व्यक्ति अपनी छुट्टी का दिन घर के जेलखाने से बाहर बितायें । भोजन साथ ले लें और बाहर निकल पड़ें । यह समय शहर में या बाहर किसी उद्यान, झील, सरिता-तट, जंगल या अन्य किसी रमणीक प्राकृतिक स्थान में व्यतीत करना चाहिए । कैम्प-जीवन का स्त्रियों और बच्चों के स्वास्थ्य पर बड़ा प्रभाव पड़ता है । बाहर सैर-सपाटे से पाचन क्रिया तो ठीक होती ही है, हृदय भी नवशक्ति से परिपूर्ण हो जाता है । पाश्चात्य देशों में स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में लोग सरिता-तट या झील पर जाते हैं, धूप-स्नान करते हैं, नदी में तैरते हैं, खेल-कूद करते हैं । पूर्ण स्वास्थ्य के लिए कैम्प जीवन अत्यन्त आवश्यक है । घर की पुरानी परिस्थितियों से निकल कर प्रकृति की नवीन परिस्थितियों में आने से मन प्रफुल्लित हो जाता है । पर्वतों का पर्यटन आयु को और भी बढ़ा देता है । जंगल, उद्यान, घास पर टहलना मनोविनोद के अच्छे साधन हैं ।

प्रत्येक परिवार के मुखिया को स्वयं सोचकर अपनी परिस्थिति के अनुसार खेलों तथा मनोरंजन की योजना बनानी चाहिए ।

मित्रता की आवश्यकता एवं उसका निर्वाह-

परिवारों में अनेक ऐसी अड़चनें आती हैं जिनमें पड़ोसी तथा मित्रों की सहायता के बिना काम नहीं चलता । विवाह एवं जन्मोत्सव पर, प्रवास में जाने पर, बीमारी में, मृत्यु के दु:खद प्रसंगों में, आर्थिक कठिनाइयों के मौकों पर तथा अन्य जटिल अवसरों पर राय लेने के लिए मित्रों की अतीव आवश्यकता पड़ती है ।

पर मित्र तथा उत्तम पड़ोसी का चुनना बड़ा कठिन है । अनेक व्यक्ति आपसे अपना काम निकालने के स्वार्थमय उद्देश्य से मित्रता करने को उतावले रहते हैं किन्तु अपना कार्य निकल जाने पर कोई सहायता नहीं करते । अत: बड़ी सावधानी से व्यक्ति का चरित्र, आदतें, संगति, शिक्षा इत्यादि का निश्चय करके मित्र का चुनाव होना चाहिए । आपका मित्र उदार, बुद्धिमान, पुरुषार्थी और सत्य परायण होना चाहिए । विश्वासपात्र मित्र जीवन की एक औषधि है । हमें अपने मित्रों से यह आशा करनी चाहिए कि वे हमारे उत्तम संकल्प को दृढ़ करेंगे तथा दोषों एवं त्रुटियों से बचावेंगे, हमारी सत्यता, पवित्रता और मर्यादा को पुष्ट करेंगे । यदि हम कुमार्ग पर पांव रक्खेंगे, तब हमें सचेत करेंगे । सच्चा मित्र एक पथ प्रदर्शक के समान एवं, विश्वासपात्र और सच्ची सहानुभूति से पूर्ण होना चाहिए ।

पं. रामचन्द्र शुक्ल ने मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया है- "उच्च और महाकार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिखाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ । यह कर्तव्य उसी से पूर्ण होगा, जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो । हमें ऐसे ही मित्रों का पल्ला पकड़ना चाहिए जिनमें आत्मबल हो, जैसे सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था ।"

मित्र हों तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और

पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, जिनसे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि किसी प्रकार का धोखा न होगा । मित्रता एक नई शक्ति की योजना है । बर्कले ने कहा है-"आचरण दृष्टांत ही मनुष्य जाति की पाठशाला है, जो कुछ वह उससे सीख सकता है वह और किसी से नहीं ।"

यदि आप किसी के मित्र बनते हैं तो स्मरण रखिये आपके ऊपर वह जिम्मेदारी आ रही है । आपको चाहिए कि अपने मित्र की विवेक-बुद्धि, अन्तरात्मा जागृत करें, कर्तव्य बुद्धि को उत्तेजना प्रदान करें और उसके लड़खड़ाते पाँवों में दृढ़ता उत्पन्न कर दें ।

जीवन के आवश्यक कार्य-

हमारे कर्म चार प्रकार के होते हैं । (१) पशु तुल्य, (२) राक्षस तुल्य, (३) सत्पुरुष तुल्य एवं (४) देव तुल्य । प्रत्येक व्यक्ति को अपने परिवार में कार्य करते समय इन पर दृष्टि डालनी चाहिए ।

वे सब कार्य जिनमें बुद्धि का उपयोग न किया जाय, क्षणिक आवेग या प्रकृति के संकेत पर बिना जाने-बूझे कर डाले जांय, पशु तुल्य कार्य हैं जैसे भोजन, कामेच्छा की पूर्ति, गुस्से में मार बैठना, प्रसन्नता में वृथा फूल उठना । जीभ तथा वासना जन्य सुख इसी श्रेणी में आते हैं ।

स्वाथ की पूर्ति के लिए जो कार्य किये जाँय वे राक्षस जैसे कार्य होते हैं । राक्षस वृत्ति वाले पुरुष साम, दाम, दंड, भेद से अपना ही अपना भला चाहते हैं । दूसरों को मारकर स्वयं आनंद में मस्त रहते हैं । उन्हें किसी के दु:ख, तकलीफ, मरने-जीने से कोई सरोकार नहीं है । ऐसे अविवेकी मांस भक्षण, रति प्रेम, व्यभिचार, चोरी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, गुप्त पाप किया करते हैं । 'खाओ, पीओ, मौज उड़ाओ' यही उनका आदर्श है । दुर्भोग, व्यभिचार, मांस भक्षण, मद्यपान, भोग उसके आनंद के ढंग हैं ।

सत्पुरुष आज की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, कल के

लिए योजना बनाता है, धन, अनाज, वस्त्र इत्यादि का संग्रह करता है, अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखता है, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और भावी उन्नति की व्यवस्था बनाता है । वह पृथ्वी पर ही अपनी सद्भावनाओं तथा सद्इच्छाओं द्वारा स्वर्ग का निर्माण करता है । वह जानता है कि केवल धनोपार्जन जीवन में सफलता की कसौटी नहीं है । धन वह साधन है जिसके द्वारा पुण्य जीविका एकत्र की जाती है ।

वह पाप जीविका, छल जीविका, जुआ, सट्टा, भिक्षा, ब्याज से दूर रहता है । वह दूसरे को ठगने का प्रयत्न नहीं करता । उसकी जीविका उपार्जन का कार्य सद्उद्देश्य से होता है । सचाई और पुण्य की कमाई से खूब फूलता-फलता है । बुराई से खरीदी हुई प्रतिष्ठा क्षणिक होती है । यथाशक्ति वह दूसरों को दान-पुण्य से सहायता करता है । जीवन निर्वाह के बदले में वह उचित सेवा भी करता है ।

देव तुल्य जीवन का उद्देश्य त्याग तथा साधना द्वारा जन सेवा के कार्य करना हैं । यह सेवा शरीर, मन या शुभ विचारों के द्वारा हो सकती है । विश्व कल्याण के लिए जीने वाला व्यक्ति मनुष्य होते हुए भी देवता है । वह अपनी बुद्धि एवं ज्ञान को विश्वहित के लिए बलिदान करता है, ज्ञान चर्चा द्वारा वह दूसरों का भी मन उच्च विषयों की ओर फेरता है । उसकी दिनचर्या में उत्तम प्रवचनों का श्रवण, शंकानिवारण, पठन, चिंतन, आत्मनिरीक्षण, निर्माण और उपदेश होते हैं । वह संसार की वासनाओं के ऊपर शासन करता है ।

हमारे उत्सव तथा त्यौहार-

सुखद पारिवारिक जीवन के लिए उत्सव तथा त्यौहार बड़े उपयोगी है । इनके द्वारा अनेक लाभ हैं । (१) अच्छा मनोरंजन होता है । इसमें सामूहिक रूप से समस्त परिवार के व्यक्ति सम्मिलित हो सकते हैं । अभिनय, गान, कीर्तन, पठन-पाठन, स्वाध्याय इत्यादि साथ-साथ करने से सब में भ्रातृभाव का संचार होता है । (२) समता का प्रचार त्यौहारों में हो सकता है । प्रत्येक व्यक्ति सामूहिक रूप से

उन्हें सफल बनाने का उद्योग करता है । (३) पुराने सांसारिक एवं आध्यात्मिक गौरव की स्मृति पुनः हरी हो जाती है । यदि हम गहराई से विचार करें, तो हमें प्रतीत होगा कि प्रत्येक त्यौहार का कुछ गुप्त आध्यात्मिक अर्थ है । हिन्दू उत्सव एवं त्यौहारों में समता, सहानुभूति तथा पारस्परिक संगठन की पवित्र भावना निहित है । इन गुणों का विकास होता है । (४) आध्यात्मिक उन्नति का अवसर हमें इन्हीं त्यौहारों द्वारा प्राप्त होता है । हमारे प्रत्येक उपवास, मौनव्रत, समारोह का अभिप्राय संपूर्ण परिवार में प्रेम, ईमानदारी, सत्यता, उदारता, दया, श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के भाव उत्पन्न करना होता है । ये सब आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं, ये ही मनुष्य की स्थायी शक्तियाँ हैं ।

ये उत्सव तथा त्यौहार केवल रस्म अदायगी, बाह्य दर्शन या झूठा दिखावा मात्र न बनें, प्रत्युत पारिवारिक सद्भाव, संगठन, एकता, समता और प्रेम की भावनाओं के विकास में सहायक हों । पारिवारिक जीवन का विकास करने के लिए हमें कटुता और विषमता की भावना त्यागनी होगी, स्नेह सरिता प्रवाहित करनी होगी और सहानुभूति का सूर्य उदय करना होगा ।

उत्सव और त्यौहारों में हम सबको एक ही स्थान पर एकत्रित होने का अवसर प्राप्त होता है, हम मिल-जुल कर परस्पर विचार-विनिमय कर सकते हैं, एक ही विषय पर सोच-विचार कर अपनी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं । परस्पर साथ रहने से हम एक-दूसरे के गुण-दोषों की ओर भी संकेत कर सकते हैं । ये वे अवसर हैं जो पारस्परिक भेदभाव भुला कर पुनः स्नेह, सहानुभूति में आबद्ध करते हैं । बड़े उत्साह से हमें इन्हें मनाना चाहिए ।

मूर्खतापूर्ण आदतें-

वे आदत कौन हैं जिनसे परिवार का सर्वनाश होता है ? प्रथम तो स्वार्थमय दृष्टिकोण है जिसकी संकुचित परिधि में केवल मुखिया

ही रहता है । जो मुखिया अपने आप अच्छी से अच्छी चीजें खाता, सुन्दर वस्त्र पहनता, अपने आराम का ध्यान रखता है और परिवार के अन्य सदस्यों को दु:खी रखता है, वह दुर्मति है । इसी प्रकार अत्यधिक क्रोधी, कामी, अस्थिर चित्त, मारने-पीटने वाला, वेश्यागामी व्यक्ति परिवार के लिए अभिशाप है ।

अनेक परिवार अभक्ष्य पदार्थ के उपभोग के कारण नष्ट हुए हैं । शराब ने अनेक परिवारों को नष्ट किया है । इसी प्रकार सिगरेट, पान, तम्बाकू, बीड़ी, गांजा, भांग, चरस, चाय इत्यादि वस्तुओं में सबसे अधिक धन स्वाहा होता आया है । इन चीजों से जब खर्चा बढ़ता जाता है तो उसकी पूर्ति जुआ, सट्टा, चोरी, रिश्वत, भ्रष्टाचार से की जाती है । जो व्यक्ति संयमी नहीं है, उससे उच्च आध्यात्मिक जीवन की कैसे आशा की जा सकती है । नशे में मनुष्य अपव्यय करता है और परिवार तथा समाज के उत्तरदायित्व को पूर्ण नहीं कर पाता । विवेकहीन होने के कारण वह दूसरों का अपमान कर डालता है, व्यर्थ सताता है, मुकदमेबाजी करता है । समय और धन नष्ट हो जाता है । शराबी लोगों के गृह नष्ट हो जाते हैं, प्रतिष्ठा की हानि होती है, बच्चों और पत्नी की दुर्दशा हो जाती है । जो लोग भंग, अफीम इत्यादि का नशा करते हैं, वे भी एक प्रकार के मद्यपी ही परिगणित किये जायेंगे ।

मांस भक्षण भी एक ऐसा ही दुष्कर्म है, जिससे प्राणी मात्र को हानि होती है । इससे हिंसा एवं प्राणीवध के भाव पुष्ट होते हैं एवं भांति-भांति के जटिल रोग उत्पन्न होते हैं । पशु प्रकृति जागृत होती है । अधिक मिठाइयाँ या चाट-पकौड़ी खाना भी उचित नहीं है ।

कर्जा लेने की आदत अनेक परिवारों को नष्ट करती है । विवाह, जन्मोत्सव, यात्रा, आमोद-प्रमोद में अधिक व्यय करने के अभ्यस्त अविवेकी व्यक्ति अनाप-सनाप व्यय करते हैं । कर्जा लेते हैं और बाद में रोते हैं । प्राय: एक बार का लिया हुआ कर्ज भी नहीं

उतर पाता । फलतः सामान और घर तक बिक जाते हैं । आभूषण बेचने तक की नौबत आती है । इसी श्रेणी में मुकदमेबाजी आती है । यथाशक्ति आपस में सुलह, मेल-मिलाप कर लेना ही उचित है । मुकदमे के चक्र में समय और धन दोनों की बर्बादी होती है ।

व्यभिचार संबंधी आदतें समाज में पाप और छल की वृद्धि करती हैं । विवाहित जीवन में जब पुरुष अन्य स्त्रियों के संपर्क में आते हैं, तो समाज में पाप फैलता है । कुटुम्ब का प्रेम, समस्वरता, संगठन नष्ट हो जाता है । गृह पत्नी से विश्वासघात होने से संपूर्ण घर का वातावरण दूषित और विषैला हो उठता है । शोक है कि इस पाप से हम सैकड़ों परिवारों को नष्ट होते देखते हैं और फिर भी ऐसी मूर्खतपूर्ण आदतें डाल लेते हैं । आज के समाज में प्रेयसि, सखी, फ्रेंड के रूप में खुला आदान-प्रदान चलता है । इसके बड़े भयंकर दुष्परिणाम होते हैं ।

पारिवारिक कलह के निवारण

बहुसंख्यक परिवारों में सास-बहू के झगड़े चल रहे हैं । इसके अनेक कारण हैं । सास बहू को अपने नियंत्रण में रखकर उस पर शासन करना चाहती है । अपनी आज्ञानुसार उससे कार्य कराना चाहती है । कभी-कभी वह अपने पुत्र को बहका कर बहू की मरम्मत कराती है । प्रायः देखा गया है कि जहाँ कोई पुरुष स्त्री को कष्ट देता है, तो उसके मध्य में अवश्य कोई स्त्री-सास, ननद या जिठानी रहती है । स्त्रियों में ईर्ष्या भाव अत्यधिक होता है । बहू का व्यक्तित्व प्रायः लुप्त हो जाता है तथा उसे रौरव नर्क की यंत्रणाएं सहन करनी पड़ती हैं ।

कहीं पर पति बहू के इंगित पर नृत्य करता है और उसके

भड़काने से वृद्धा सास पर अत्याचार करता है । वृद्धा से कठिन कार्य करवाया जाता है । वह धुँए में परिवार के निमित्त भोजन व्यवस्था करती है जबकि बहू सिनेमा देखने या टहलने के लिए निकल जाती है ।

ये दोनों ही सीमाएं हैं और हर प्रकार से त्याज्य हैं । सास-बहू के संबंध पवित्र हैं । सास स्वयं बहू को देखने के लिए लालायित रहती है । उसके लिए वह दिन बड़े गौरव का होता है जब घर बहूरानी के पदार्पण से पवित्र होता है । उसे उदार, स्नेही, बड़प्पन से परिपूर्ण होना चाहिए । बहू की सहायता तथा पथ प्रदर्शन के लिए कार्य करना चाहिए । छोटी-मोटी भूलों को सहृदयता से माफ कर देना चाहिए । इसी प्रकार बहू को सास में अपनी माता के दर्शन करने चाहिए और उनकी वही प्रतिष्ठा करनी चाहिए जो वह अपनी माता की करती रही है । यदि पुरुष माता को माता के स्थान पर पूज्य माने और पत्नी को पत्नी के स्थान पर जीवन सहचरी, मिष्ठभाषणी प्रियतमा मानें तो ऐसे संकुचित झगड़े बहुत कम उत्पन्न होंगे ।

ऐसे झगड़ों में पुत्र का कर्तव्य बड़ा कठिन है । उसे माता की मान-प्रतिष्ठा का ध्यान और पत्नी के गर्व तथा प्रेम की रक्षा करनी है । अतः उसे पूर्ण शांति और सुहृदयता से कर्तव्य भावना को सामने रखकर ऐसे झगड़ों को शांत करना उचित है । किसी को भी अनुचित रीति से दबा कर उसकी मानहानि न करनी चाहिए । यदि पति कठोर, उग्र, लड़ने वाले स्वभाव का है, तो पारिवारिक शांति और समृद्धि भंग हो जायगी । प्रेम और सहानुभूति से दूसरों के दृष्टिकोण को समझ कर बुद्धिमत्ता से अग्रसर होना चाहिए ।

ननद-भौजाई के झगड़े-

प्रायः देखा जाता है कि जहाँ ननदें अधिक होती हैं या विधवा होने के कारण मायके में रहती हैं, वहाँ बहू पर बहुत अत्याचार होते हैं । ननद भाभी के विरुद्ध अपनी माता के कान भरती

है और भाई को भड़काती है । इसका कारण यह है कि बहिन भाई पर अपना पूर्ण अधिकार समझती है और अपने गर्व, अहं और व्यक्तित्व को अन्यों से ऊपर रखना चाहती है । भाई यदि अदूरदर्शी होता है, तो बहिन की बातों में आ जाता है और बहू अत्याचार का शिकार बनती है ।

इन झगड़ों में पति को चाहिए कि पृथक-पृथक अपनी बहिन और पत्नी को समझा दे और दोनों के स्वत्व तथा अहंकार की पूर्ण रक्षा करे । मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से दोनों का अध्ययन कर परस्पर मेल करा देना ही उचित है । मेल कराने के अवसरों की ताक में रहना चाहिए । दोनों को परस्पर मिलने-बैठने, साथ-साथ टहलने जाने, एक सी दिलचस्पी विकसित करने का अवसर प्रदान करना उचित है । यह नहीं होना चाहिए कि पत्नी ही दोनों समय भोजन बनाती, झूठे बर्तन साफ करती, जिठानी के बच्चों को नहलाती-धुलाती, आटा पीसती, कपड़े धोती, दूध पिलाती या झाड़ू-बुहारी का काम करती रहे । पत्नी को कम काम मिलना चाहिए क्योंकि उसके पास बच्चे भी पालने के लिए हैं । यदि कोई बीमार पड़ेगा तो उसे उसका कार्य भी करना होगा ।

वृद्धों का चिड़चिड़ापन और परिवार के अन्य व्यक्ति-

प्राय: देखा गया है कि आयु वृद्धि के साथ-साथ वृद्ध चिड़चिड़े, नाराज होने वाले, सनकी, क्रोधी बन जाते हैं और सठिया जाते हैं । वे तनिक सी असावधानी से नाराज हो जाते हैं और कभी-कभी अपशब्दों का भी उच्चारण कर बैठते हैं । ऐसे वृद्ध क्रोध के नहीं, हमारी दया और सहानुभूति के पात्र हैं । वे अज्ञान में हैं और हमें उनके साथ वही आचरण करना उचित है, जैसा बच्चों के साथ । उनकी विवेकशील योजनाओं तथा अनुभव से लाभ उठाना चाहिए और उनकी मूर्खताओं को उदारतापूर्वक क्षमा करना चाहिए ।

वृद्धों को परिवार के अन्य व्यक्तियों के प्रेम और सहयोग की

आवश्यकता है । हमें उनसे प्रीति करना, जितना हो उसे उतना आज्ञा पालन करना एवं उनकी प्रतिष्ठा, उनके स्वास्थ्य का संरक्षण ही उचित है । खाने के लिए, कपड़ों के लिए तथा थोड़े से आराम के लिए यह वृद्ध परिवार के अन्य व्यक्तियों की सहानुभूति की आकांक्षा करता है । उसने अपने यौवन काल में परिवार के लिए जो श्रम और बलिदान किये हैं, अब उसी त्याग का बदला हमें अधिक से अधिक देना उचित है ।

परिवार के संचालन की कुंजी उत्तम संगठन है । प्रत्येक व्यक्ति यदि सामूहिक उन्नति में सहयोग प्रदान करे, अपने श्रम से अर्थ संग्रह करे, दूसरों की उन्नति में सहयोग प्रदान करे, सबके लिए अपने व्यक्तिगत स्वार्थों का बलिदान करता रहे, तो बहुत कार्य हो सकता है ।

स्वस्थ दृष्टिकोण-

दूसरों के लिए कार्य करना, अपने स्वार्थों को तिलांजलि देकर दूसरों को आराम पहुँचाना सृष्टि का यही नियम है । कृषक हमारे निमित्त अनाज उत्पन्न करता है, जुलाहा वस्त्र बनुता है, दर्जी कपड़े सीता है, राजा हमारी रक्षा करता है । हम सब अकेले काम नहीं कर सकते । मानव जाति में पुरातन काल से पारस्परिक लेन-देन चला आ रहा है । परिवार में प्रत्येक सदस्य को इस त्याग, प्रेम, सहानुभूति की नितांत आवश्यकता है । जितने सदस्य हैं सबको आप प्रेम-सूत्र में आबद्ध कर लीजिए । प्रत्येक का सहयोग प्राप्त कीजिए, प्यार से उनका संगठन कीजिए ।

इस दृष्टिकोण को अपनाने से छोटे-बड़े सभी झगड़े नष्ट होते हैं । अक्सर छोटे बच्चों की लड़ाई बढ़ते-बढ़ते बड़ों को दो हिस्सों में बांट देती है । पड़ोसियों में बच्चों की लड़ाइयों के कारण युद्ध ठन उठता है । स्कूल में बच्चों की लड़ाई घरों में घुसती है । कलह बढ़ कर मार-पीट तक पहुँचती है और मुकदमेबाजी की नौबत आती है ।

उन सबके मूल में संकुचित वृत्ति, स्वार्थ की कालिमा, व्यर्थ वितंड़ावाद, दुरभिसंधि इत्यादि दुर्गुण सम्मिलित हैं ।

हम मन में मैल लिए फिरते हैं और इस मानसिक विष को प्रकट करने के लिए अवसरों की प्रतीक्षा में रहते हैं । झगड़ालू व्यक्ति जरा-जरा सी बातों में झगड़ों के लिए अवसर ढूँढ़ा करते हैं । परिवार में कोई न कोई ऐसा झगड़ालू व्यक्ति, जिद्दी बच्चा होना साधारण सी बात है । इन सबको भी विस्तृत और सहानुभूतिपरक दृष्टिकोण से ही निरखना चाहिए ।

तुम्हें एक दूसरे के भावों, दिलचस्पी, रुचि, दृष्टिकोण, स्वभाव, आयु का ध्यान रखना अपेक्षित है । किसी को वृथा सताना या अधिक कार्य लेना बुरा है । उद्धत स्वभाव का परित्याग कर प्रेम और सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए । कुटिल व्यवहारों के दोषों से जैसे अपना आदमी पराया हो जाता है, अविश्वासी और कठोर बन जाता है, वैसे ही मृदुल व्यवहार से कट्टर शत्रु भी मित्र हो जाता है ।

विश्व में साम्यवाद की अवतारणा के लिए परिवार से ही श्रीगणेश करना उचित है । न्याय से मुखिया को समान व्यवहार करना चाहिए ।

परिवार के युवक तथा उनकी समस्याएँ-

प्रायः युवक स्वच्छन्द प्रकृति के होते हैं और परिवार के नियंत्रण में नहीं रहना चाहते । वे उच्छृंखल प्रकृति, पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित, हलके रोमांस से वशीभूत पारिवारिक संगठन से दूर भागना चाहते हैं । यह बड़े परिताप का विषय है ।

युवकों के झगड़ों के कारण ये हैं-(१) अशिक्षा, (२) कमाई का अभाव, (३) प्रेम संबंधी अड़चनें, घर के सदस्यों का पुरानापन और युवकों की उन्मुक्त प्रकृति, (४) कुसंग, (५) पत्नी का स्वच्छन्द प्रिय होना तथा पृथक घर में रहने की आकांक्षा, (६) विचार संबंधी पृथकता-पिता का पुरानी धारा के अनुकूल चलना पुत्र का अपने

अधिकारों पर जमे रहना, (७) जायदाद संबंध बंटवारे के झगड़े । इन पर पृथक-पृथक विचार करना चाहिए ।

यदि युवक समझदार और कर्तव्यशील हैं, तो झगड़ों का प्रसंग ही उपस्थित न होगा । अशिक्षित, अपरिपक्व युवक ही आवेश में आकर बह जाते हैं और झगड़े कर बैठते हैं । एक पूर्ण शिक्षित युवक कभी पारिवारिक विद्वेष या कलह में भाग न लेगा । उसका विकसित मस्तिष्क इन सबसे ऊँचा उठ जाता है । वह जहाँ अपना अपमान देखता है, वहाँ स्वयं ही हाथ नहीं डालता ।

कमाई का अभाव झगड़ों का एक बड़ा कारण है । निखट्टू पुत्र परिवार में सबकी आलोचना का शिकार होता है । परिवार के सभी सदस्य उससे यह आशा करते हैं कि परिवार की आर्थिक व्यवस्था में हाथ बंटायेगा । जो युवक किसी पेशे-व्यवसाय के लिए प्रारंभिक तैयारी नहीं करते, वे समाज में फिट नहीं हो पाते । हमें चाहिए कि प्रारंभ से ही घर के युवकों के लिए काम तलाश कर लें जिससे बाद में जीवन-प्रवेश करते समय कोई कठिनाई उपस्थित न हो । संसार कर्मक्षेत्र है । यहाँ हम में से प्रत्येक को अपना कार्य समझना तथा उसे पूर्ण करना है । हममें जो प्रतिभा, बुद्धि, अज्ञात शक्तियाँ हैं, उन्हें विकसित कर समाज के लिए उपयोगी बनाना चाहिए ।

प्रतिभा की वृद्धि कीजिए । आपको नौकरी, रुपया, पैसा, प्रतिष्ठा और आत्म सम्मान प्राप्त होगा । उसके अभाव में आप निखट्टू बने रहेंगे । प्रतिभा आपके दीर्घकालीन अभ्यास, सतत परिश्रम, अध्यवसाय, उत्तम स्वास्थ्य पर निर्भर है । प्रतिभा हम अभ्यास और साधन से प्राप्त करते हैं । मनुष्य की प्रतिभा स्वयं उसी के संचित कर्मों का फल है । अवसर को हाथ से न जाने दें, प्रत्येक अवसर का सुंदर उपयोग करें और दृढ़ता, आशा और धीरता के साथ उन्नति के पथ पर अग्रसर होते जाँय । स्वसंस्कार का कार्य इसी तरह संपन्न होगा ।

कुसंग का भयानक प्रभाव-

कुसंग में रहकर युवक परिवार से छूट जाता है । ये कुसंग बड़े आकर्षक रूप में उसके सम्मुख आते हैं । कुमित्र, सिनेमा, थियेटर, वैश्या, गंदा साहित्य, गर्हित चित्र, मद्यपान, सिगरेट तथा अन्य उत्तेजक पदार्थ-ये सभी प्रत्यक्ष विष के समान हैं, जिनके स्पर्श मात्र से मनुष्य पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है । इनकी कल्पना मन में करना सर्वथा विनाशकारी है । बड़े सावधान रहें ।

जिनकी आत्मा अपनी इन्द्रियों के विषयों-खान-पान, चटकीले वस्त्र, दिखावा, विलासप्रियता, शृंगार, झूठी शान, बचपन की रंगरेलियों, सिनेमा की अभिनेत्रियों के चिंतन या अन्य सामाजिक विकारों में ही लिप्त हैं, जिनका हृदय निम्न कोटि की आशाओं में डूबा रहता है और स्वार्थ, क्रोध, ईर्ष्या, मोह, दगाबाजी, बेईमानी के कलुषित विचारों में रमा हुआ है, ऐसी नशोन्मुख आत्माओं को अवलोक कर कौन पश्चाताप न करेगा ?

ऐसी विनाशकारी वृत्ति का एक उदाहरण पं. रामचन्द्र शुक्ल ने दिया है । आपने मकदूनिया के बादशाह डेमेट्रियस के विषय में लिखते हुए निर्देश किया है कि वह कभी-कभी राज्य का सब काम-काज त्याग कर अपने ही मेल के दस-पाँच साथियों को लेकर विषय-वासना में लिप्त रहा करता था । एक बार बीमारी का बहाना करके, वह इसी प्रकार अपने दिन काट रहा था । इसी बीच उसका पिता उससे मिलने के लिए गया । उसने एक हंसमुख जवान लड़की को कोठरी से बाहर निकलते हुए देखा । जब डेमेट्रियस कोठरी के बाहर निकला, तब उसने पिता को सामने पाकर कहा-"ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा है ।" पिता ने उत्तर दिया-"हाँ ! ठीक है, वह दरवाजे पर मुझे मिला था ।"

कुसंग का ज्वर ऐसा ही भयानक होता है । एक बार युवक इसके पंजे में फँस कर मुक्त नहीं हो पाता । अत: प्रत्येक युवक को

अपने मित्रों, स्थानों, दिलचस्पियों, पुस्तकों इत्यादि का चुनाव बड़ी सतर्कता से करना चाहिए ।

सुखी और शांतिमय गृहस्थ जीवन

आपका परिवार एक छोटा सा स्वर्ग है, जिसका निर्माण आपके हाथ में है । परिवार एक ऐसी लीलाभूमि है जिसमें पारिवारिक प्रेम, सहानुभूति, संवेदना, मधुरता अपना गुप्त विकास करते हैं । यह एक ऐसी साधना भूमि है जिसमें मनुष्य को निज कर्तव्यों तथा अधिकारों, उत्तरदायित्वों एवं आनंद का ज्ञान होता है । मनुष्य को इस भूतल पर जो सच्चा, नैसर्गिक और दुःख से मुक्त सुख प्राप्त हो सकता है, वह कुटुम्ब का सुख ही है ।

कुटुम्ब की देवी स्त्री है । चाहे वह माता, भगिनी या पुत्री किसी भी रूप में क्यों न हो । उन्हीं के स्नेह, हृदय की हरियाली, रस स्निग्ध वाणी और सौन्दर्यशील प्रेम से परिवार सुखी बनता है । वह स्त्री, जिसका हृदय दया और प्रेम से उछलता है, परिवार का सबसे बड़ा सौभाग्य है । उसकी वाणी में सुधा की सी शीलता और सेवा में जीवन प्रदायिनी शक्ति है । उसके प्रेम की परिधि का निरंतर विकास होता है । वह ऐसी शक्ति है, जिसका कभी क्षय नहीं और जिसका उत्साह एवं प्रेरणा, परिवार में नित्य नवीन छटाएं बिखेरकर, पूर्णता में नवीनता उत्पन्न कर मन को मोद, बुद्धि को प्रबोध और हृदय को संतोष प्रदान करती है ।

हिंदू भावना स्त्री के रूप में केवल अर्धांगिनी और सहधर्मिणी हो सकती है, अन्य कुछ नहीं । हिंदू की दृष्टि में नारी केवल साथिन के रूप में या थोथी और उथली रोमांचक प्रेमिका नहीं दिखाई देती । इस वैचित्र्यमय जगत में नानात्व की अभिव्यंजना के साथ नारी को भी हम अनंत शक्ति-रूपिणी, अनंत रूप से शक्ति दायिनी

स्नेहमयी जननी, आज्ञाकारिणी भगिनि, कन्या और सखी के रूप में निरखते हैं ।

हिंदू परिवार में पुत्र क्षणिक आवेश में आकर स्वछन्द विहार के लिए परिवार का तिरस्कार नहीं करता । वरन् परिवार के उत्तरदायित्व को और भी दृढ़ता से वहन करता है । हिंदू जीवन में पति उत्तरदायित्वों से भरा हुआ प्राणी है । अनेक विघ्नों के होते हुए भी उसका विवाहित जीवन मधुर होता है । यहाँ संयम, निष्ठा, आदर, प्रतिष्ठा तथा जीवन शक्ति को रोक रखने का सर्वत्र विधान रखा गया है । यदि यह संयम न हो तो विवाहित जीवन गरलमय हो सकता है । हिंदू नारी को भोग-विलास की सामग्री नहीं, नियंत्रक, प्रेरक,साधनामय एवं विघ्न-बाधाओं में साथ देने वाली जीवन-संगिनी के रूप में देखता है ।

इन दैवी गुणों की वृद्धि कीजिए-

पारिवारिक जीवन को मधुर बनाने वाला प्रमुख गुण नि:स्वार्थ प्रेम है । यदि प्रेम की पवित्र रज्जु से परिवार के समस्त अवयव सुसंगठित रहें, एक दूसरे की मंगल कामना करते रहें, एक दूसरे को परस्परं सहयोग प्रदान करते रहें तो सम्पूर्ण सम्मिलित कुटुम्ब सुघड़ता से चलता रहेगा । परिवार एक पाठशाला है, एक शिक्षा संस्था है, जहाँ हम प्रेम का पाठ पढ़ते हैं ।

अपने पारिवारिक सुख की वृद्धि के लिए यह स्वर्ण सूत्र स्मरण रखिये कि आप अपने स्वार्थों को पूरे परिवार के हित के लिए अर्पित करने को प्रस्तुत रहें । हम अपने सुख की इतनी परवाह न करें, जितनी दूसरों की । हमारे व्यवहार में सर्वत्र शिष्टता रहे । यहाँ तक कि परिवार के साधारण सदस्यों के प्रति भी हमारे व्यवहार शिष्ट रहें । छोटों की प्रतिष्ठा करने वाले, उनका आत्म सम्मान बढ़ाने वाले, उन्हें परिवार में अच्छा स्थान देकर समाज में प्रविष्ट कराने वाले भी हमी हैं ।

छोटे-बड़े, भाई-बहिन, घर के नौकर, पशु-पक्षी सभी से आप उदार रहें । प्रेम से अपना हृदय परिपूर्ण रखें । सबके प्रति स्नेहसिक्त, प्रसन्न रहें । आपको प्रसन्न देखकर घर भर प्रसन्नता से फूल उठेगा । प्रफुल्लता वह गुण है जो थके-हारे सदस्यों तक में नवोत्साह भर देता है ।

जरा इस चित्र को मन के पर्दे पर अंकित कीजिए :-"मैं प्राय: कालेज से थका-हारा लौटता हूँ । घर आता हूँ तो हृदय प्रफुल्लित हो उठता है । बैठक में पत्नी, भाई, बच्चे जमा हैं । टेबिल के ऊपर दूध, मिष्ठान्न, मेवा जमा हैं । बाबूजी के आने की प्रतीक्षा की जा रही है । मैं घर में प्रविष्ट होता हूँ । सबसे छोटी बालिका आकर मुझसे लिपट जाती है-'बाबूजी आ गए ! बाबूजी आ गए !!' की मधुर ध्वनि मुझे अह्लादित कर देती है । मैं जेब में से चाक का एक टुकड़ा निकाल कर नन्हीं मृदुला को देता हूँ । वह उसी में तन्मय हो जाती है । मेरी पुस्तकें ले लेती है और हैट सिर पर पहन लेती है । सब उसका अभिनय देखकर हँस देते हैं । मैं खिलखिला कर हँस देता हूँ । एक नई प्रेरणा दिल और दिमाग को तरोताजा कर देती है । यह सम्मिलित लघु भोजन हम में नव जीवन संचार कर देता है ।"

आप अपने परिवार में खूब हँसिये, खेलिए, क्रीड़ा कीजिए । परिवार में ऐसे रम जाइए कि आपको बाहरीपन मालूम न हो । आत्मा तृप्त हो उठे । मैंने चुन-चुन कर अपने परिवार में मनोरंजन के भी नवीन ढंग अपनाये हैं । इनका उल्लेख अन्यत्र किया जा रहा है । लेकिन इन सब के मूल में जो वृत्ति है वह हँसी-विनोद और विश्राम की है ।

धर्म प्रवर्तक लूथर ने कहा है-"विचारपूर्ण विनोद और मर्यादापूर्ण साहस वृद्ध और युवक के लिए उदासी की अच्छी दवा है ।"

सरसता का अद्भुत प्रभाव-

जिनका स्वभाव रूखा, दार्शनिक, चिन्ता भरा है, उन्हें तुरंत प्रसन्न रहने का उद्योग एवं अभ्यास करना चाहिए । रूखापन जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है । कई आदमियों का स्वभाव बड़ा शुष्क, कठोर और अनुदार होता है । उनकी आत्मीयता का दायरा बड़ा संकुचित होता है । उस दायरे के बाहर के व्यक्तियों तथा पदार्थों में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं होती । पास-पड़ोस के व्यक्तियों तक में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं । किसी के हानि-लाभ, उन्नति-अवनति, खुशी-रंज, अच्छाई-बुराई, तरक्की-तनज्जुली से उन्हें कोई मतलब नहीं होता । ऐसे व्यक्ति प्रसन्नता में भी कंजूस ही रहते हैं । अपने रूखेपन के प्रत्युत्तर में दुनियाँ उन्हें बड़ी रूखी, नीरस, कर्कश, खुदगर्ज, कठोर और कुरूप प्रतीत होती है ।

रूखापन परिवार के लिए रेत की तरह बेमजा है । तनिक विचार कीजिए, रूखी रोटी में क्या मजा है, रूखे बाल कैसे अस्निग्ध प्रतीत होते हैं, रूखी मशीन कैसी खड़खड़ चलती है, रूखे रेगिस्तान में कौन रहना पसंद करेगा ?

प्राणी मात्र सरसता के लिए तरस रहा है । वह आपका प्रेम, सहानुभूति, दया, करुणा, प्रशंसा, उत्साह, आह्लाद चाहता है । पारिवारिक सौभाग्य के लिए सरसता और स्निग्धता की आवश्यकता है । मनुष्य का अन्तःकरण रसिक है । स्त्रियाँ स्वभाव से ही कवि हैं, भावुक हैं, सौंदर्य उपासक हैं, कलाप्रिय हैं, प्रेममय हैं । मानव-हृदय का यही गुण है, जो उसे पशु जगत् से ऊँचा उठाता है ।

सहृदय बनिये । सहृदयता का अभिप्राय कोमलता, मधुरता, आर्द्रता है । सहृदय व्यक्ति सबके दुःख में हिस्सा बँटाता है । प्रेम तथा उत्साह देकर नीरस हृदय सींचता है । जिसमें यह गुण नहीं है उन्हें हृदय होते हुए 'हृदयहीन' कहा जाता है । हृदयहीन का अर्थ है-'जड़ पशुओं से भी नीचा' नीरस गृहस्वामी पूरे परिवार को दुःखी बना देता है ।

जिसने अपनी विचारधारा और भावनाओं को शुष्क, नीरस और कठोर बना रखा है, उसने अपने आनंद, प्रफुल्लता और प्रसन्नता के भंडार को बंद कर रखा है । वह जीवन का सच्चा रस प्राप्त करने से वंचित रहेगा । आनंद का स्रोत सरसता की अनुभूतियों में है ।

परमात्मा को आनंदमय निर्देश किया गया है । क्यों ? क्योंकि वह कठोर और नियंत्रण प्रिय होते हुए भी सरस और प्रेममय है । श्रुति कहती है–"रसोवैसः" अर्थात परमात्मा रसमय है । परिवार में उसे प्रतिष्ठित करने के लिए वैसी ही लचीली, कोमल, स्निग्ध और सरस भावनाएँ विकसित करनी पड़ती हैं ।

नियंत्रण आवश्यक है–

जब हम आप से सरसता को विकसित करने का आग्रह करते हैं, तो हमारा अभिप्रायः यह नहीं है कि आप नियंत्रण को भी टूट जाने दें । हम नियंत्रण के पक्षपाती हैं । नियंत्रण से आप नियमबद्ध, संयमी, अनुशासनबद्ध, आज्ञाकारी परिवार की रचना करते हैं । परिवार के नियंत्रण में आप दृढ़ रहें, गलतियों पर डाटें–फटकारें सजाएँ दें और पथभ्रष्ट को सन्मार्ग पर प्रतिष्ठित करें । परिवार की उन्नति के लिए आप कड़ा कदम उठा सकते हैं ।

पर एक बात कदापि विस्मृत न कीजिए । आप अन्ततः हृदय को कोमल, द्रवित होने वाला, दयालु, प्रेमी और सरस ही रखिये । संसार में जो सरलता का, सौंदर्य का अपार भंडार भरा हुआ है उसे प्राप्त करना सीखिये । अपनी भावनाओं को जब आप कोमल बना लेते हैं, तो आपके चारों ओर आने वाले हृदयों में से अमृत–सा झरता हुआ प्रतीत होता है । भोले–भाले, मीठी–मीठी बातें करते हुए बालक, प्रेम की प्रतिमाएँ–माता, भगिनी, पत्नी, अनुभव, ज्ञान और शुभ कामनाओं के प्रतीक वृद्धजन–ये सब ईश्वर की ऐसी आनंदमय विभूतियाँ हैं, जिन्हें देखकर परिवार में मनुष्य का हृदय कमल के पुष्प के समान खिल जाना चाहिए ।

परिवार एक पाठशाला है जो हमें आत्मसंयम, स्वसंस्कार, आत्मबल और निःस्वार्थ सेवा की अनमोल शिक्षाएं देता है । प्रतिदिन हम परिवार की भलाई के लिए कुछ न कुछ करते रहें, अपना निरीक्षण खुद करें ।

परिवार के प्रत्येक समझदार व्यक्तियों को चाहिए कि प्रत्येक रात को सावधानी के साथ अपने चरित्र का निरीक्षण करें । यह देखें कि आज मैंने कौन सा कार्य पशु के समान, कौन सा असुर के समान, कौन सा सत्पुरुष के समान और कौन सा देवता के समान किया है । यदि प्रत्येक व्यक्ति सहयोग और निःस्वार्थ सेवा की भावना से परिवार की सम्पन्नता में हाथ बटाये, तो गृहस्थ सुखधाम बन सकता है ।

'हमें अधिकार दीजिए'-एक दूषित भावना-

आए दिन इस बात का झगड़ा रहता है कि 'हमें अधिकार दीजिए' । नवयुवक, नवयुवतियाँ तथा अन्य सदस्य अधिकारों की रट लगाये हैं । अधिकार माँगने की प्रवृत्ति दूषित स्वार्थ की भावना पर अवलंबित है । वे दूसरों को कम देकर उनसे अधिक लेना चाहते हैं । यह स्वार्थमयी भावना जिस दिन अंकुरित होती है, परिवार से सुख और शांति की भावना का तो उसी दिन तिरोभाव हो जाता है । प्रत्येक मनुष्य छोटे से अनुचित व्यवहार करता है और कहता है कि हमारा अधिकार है । सास बहू पर अनुचित अधिकार जमाती है । बड़ा भाई छोटे भाई पर दुर्व्यवहार करता है ।

'अधिकार' माँगने वाला दूसरे से कुछ चाहता है, परन्तु दूसरे को देने की बात विस्मृत कर बैठता है । उसे यह ज्ञान नहीं कि अधिकार और कर्तव्य साथ-साथ चलते हैं । इस हाथ दीजिए, उस हाथ लीजिए । इस मांग और भूख की लड़ाई में ही गृहस्थ जीवन का सुख बिदा होना आरंभ हो जाता है ।

प्रेम, समता, त्याग और समर्पण-ये ऐसी दैवी विभूतियाँ हैं

जिनसे गृहस्थ स्वर्ग बनता है । वहाँ अधिकार नामक शब्द का प्रवेश निषेध है । वहाँ तो दूसरा शब्द 'कर्तव्य' ही प्रवेश पा सकता है । परिवार के प्रत्येक सदस्य का उत्तरदायित्व है, कुछ न कुछ कर्तव्य है । वह अपना कर्तव्य करता चले । जो तुम्हारा अधिकार है वह तुम्हें अनायास ही प्राप्त हो जायगा । लेकिन कर्तव्य की बात भूलकर केवल अधिकार की मांग लगाना नैतिक दृष्टिकोण से गर्हित है । समस्त बखेड़ों की इस जड़ को काट देना चाहिए ।

संसार के संबंधों को देखिए । दुनियाँ का सब कार्य स्वयं ही आदान-प्रदान से चल रहा है । जब कुछ दिया जाता है, तब तुरंत ही कुछ मिल जाता है । देना बंद होते ही मिलना बंद हो जाता है । अत: लेने की आकांक्षा होने पर देने की भावना पहले बना लेना जरूरी होता है । अधिकार में केवल लेने की ही भावना भरी रहती है, त्याग, बलिदान, सेवा, सहानुभूति की नहीं । इसलिए पारस्परिक प्रेम का क्षय प्रारंभ होता है । जिस दिन यह अधिकार की लालसा गृहस्थ जीवन में प्रविष्ट हो जाती है, गृहस्थ कलह का अखाड़ा बन जाता है । आज पढ़े-लिखे, मदान्ध नवयुवक इसी भावना को मन में भरे पृथक कुटुम्बों की आवाज बुलंद करते हैं । अपने ही हाथों उन्होंने अपने सुख-सुविधा को लात मार दी है ।

अधिकार का अभिप्राय है-दूसरों को अपने आधीन रखना, अपने सुख का, भोग का यंत्र बनाना ।.जब किसी भावना का प्रवाह एक ओर से चलना प्रारंभ हो जाता है, तो उसकी प्रतिक्रिया दूसरी ओर से भी प्रारंभ हो जाती है । तब एक जब दूसरे को भोग का यंत्र बनाना चाहता है, तो दूसरा भी पहले को यंत्र बनाने की धुन में लग जाता है ।

इस कुचक्र से बचने का उपाय यही है कि परिवार का हर सदस्य अधिकार की अपेक्षा कर्तव्य पर अधिक ध्यान दे । लेने की अपेक्षा देने का अधिक ध्यान रखे ।

स्वाध्याय की आवश्यकता-

स्वाध्याय से ज्ञान बढ़ता है । जो व्यक्ति पुस्तकें पढ़ता है, वह उच्चतम ज्ञान के साथ अटूट संबंध स्थापित करता है । सुशिक्षा, विद्या, विचारशीलता, समझदारी, सुविस्तृत जानकारी, अध्ययन, चिंतन, मनन, सत्संग तथा दूसरों के अनुभव द्वारा हममें से प्रत्येक व्यक्ति अपने आपको सुसंस्कृत बना सकता है । मनुष्य स्वयं अनेक शक्तियों को लेकर भूतल पर अवतरित हुआ है । जन्म से प्रायः हम सब समान ही हैं । अंतर केवल विकास का ही है । स्वाध्याय द्वारा ही हमारा विकास संभव है । स्कूल, कालेज में स्वाध्याय करने के उचित साधन उपस्थित नहीं किये जाते हैं । स्वाध्याय अर्थात स्वयं अपने परिवार और उद्योग से शिक्षित होकर संसार में महात्मा, भक्त, ज्ञानी, तपस्वी, त्यागी, गुणी, विद्वान्, महापुरुष, नेता, देवदूत, पैगम्बर तथा अवतार हुए हैं । ज्ञान ने ही मनुष्य को तुच्छ पशु से ऊँचा उठाकर एक सुदृढ़-असीम शक्तिपुंज, नाना दैवी संपदाओं तथा कृत्रिम साधन से सम्पन्न अधीश्वर बनाया है । जीवन का सुख इस विद्याबल पर ही बहुत हद तक निर्भर है ।

मुद्रक: युग निर्माण योजना प्रेस, मथुरा